

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लाक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक- 84/134/आउशि/योजना/14
पति

नया रायपुर, दिनांक 02/03/2015

✓ प्राचार्य,
नवीन शासकीय महाविद्यालय पुसौर,
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)।

विषय- पुसौर, जिला-रायगढ़ में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने बाबत।
संदर्भ- 1. छगशासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3-49/2014/38-1
दिनांक 16.09.2014
2. छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3-49/2014/38-1
दिनांक 06.12.2014

---000---

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार पुसौर, जिला-रायगढ़ में नवीन महाविद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गई है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय बातू शैक्षणिक सत्र 2014-15 में प्रारंभ करने हेतु कुल 19 पदों के सृजन की स्वीकृति वित्त विभाग के सूओ क्रमांक 2014-38-00341/ब-3/चार/2014 दिनांक 06.09.2014 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उक्त पदों का वर्गीकरण विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
शैक्षणिक पद			
1	प्राचार्य (स्नातक)	01	37400-67000 ग्रेड पे रू.10000/-
2	सहायक प्राध्यापक		
	(अ) विज्ञान संकाय (बायो. समूह) (वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र)	03	15600-39100 ग्रेड पे रू 6000
	(ब) कला संकाय (हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र)	05	15600-39100 ग्रेड पे रू 6000
	(स) वाणिज्य संकाय, सभी अनिवार्य विषय	02	15600-39100 ग्रेड पे रू 6000
अशैक्षणिक पद			
3	सहायक ग्रेड-1	01	5200-20200 ग्रेड पे रू 2800
4	सहायक ग्रेड-2	01	5200-20200 ग्रेड पे रू 2400
5	सहायक ग्रेड-3	01	5200-20200 ग्रेड पे रू 1900
6	प्रथम शाला तकनीशियन	03	5200-20200 ग्रेड पे रू 2400
7	गुरु	02	4750-7440 ग्रेड पे रू 1300
	योग :-	19	

उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 भाग संख्या 44 उच्च शिक्षा मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा -0101- राज्य आयोजना संकाय- (10) सरकारी कॉलेज संस्थावे 798 कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद के अन्तर्गत निकलनीय होगा।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

(डॉ. आर.बी.सुब्रमनियन)
अपर संचालक

उच्च शिक्षा, नया रायपुर (छ.ग.)

कमरा: 2

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक एफ3-36/2015/38-1

नया रायपुर, दिनांक 27 / 01 / 2016

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर।

विषय:- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारकों के पदों के सृजन की स्वीकृति बावत।

संदर्भ:- विभाग का पत्र क्रमांक एफ 3-36/2016/38-1 दिनांक 6.10.2015.

-0-

राज्य शासन, एतद् द्वारा वर्ष 2015-16 के बजट में प्रावधान अनुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारक (वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पे 1800) के 150 पदों के सृजन की स्वीकृति संदर्भित आदेश द्वारा प्रदान की गई थी। उक्त आदेश को निरस्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	मांग संख्या	महाविद्यालय का नाम	पूर्व में स्वीकृत पद संख्या	संशोधित पद संख्या
1.	मांग संख्या 44-2202. (03)-0101-(103)-798	शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा जिला रायपुर	02	04
2.		शासकीय महाविद्यालय, दीपका जिला कोरबा	03	03
3.		शासकीय महाविद्यालय, पिपरिया जिला कबीरधाम	03	03
4.		शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा जिला राजनांदगांव	03	03
5.		शासकीय महाविद्यालय, कोतरी जिला मुंगेली	03	03
6.		शासकीय महाविद्यालय, बोड़ला जिला कबीरधाम	03	03
7.		शासकीय महाविद्यालय, पण्डातराई जिला कबीरधाम	02	03
8.		शासकीय महाविद्यालय, जोबी जिला रायगढ़	02	03


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

17
12-01-16

क	मांग संख्या	महाविद्यालय का नाम	पूर्व में स्वीकृत पद संख्या	संशोधित पद संख्या
9		शासकीय महाविद्यालय, बरमकेला जिला रायगढ़	-	03
10		शासकीय महाविद्यालय, पुसौर जिला रायगढ़	-	03
11		शासकीय महाविद्यालय सीपत जिला बिलासपुर	-	02
12		शासकीय कन्या महाविद्यालय कवर्धा जिला कबीरधाम	-	03
13		शासकीय महाविद्यालय, बेरला जिला बेमेतरा	03	03
14		शासकीय महाविद्यालय, जामगांव आर जिला दुर्ग	03	03
15		शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़ जिला रायगढ़	03	02
16		शासकीय नवीन महाविद्यालय, अरमरीकला जिला बालोद	03	02
17		शासकीय शबरी नवीन कन्या महा, बिलासपुर जिला बिलासपुर	-	02
18		शासकीय महाविद्यालय बोरी जिला दुर्ग	03	02
19		शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बेमेतरा जिला बेमेतरा	02	02
20	मांग संख्या-44 -2202-(03)	शासकीय कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द जिला महासमुन्द	03	01
21	-0101-(103)-798	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा जिला जांजगीर-चांपा	03	02
22		शासकीय महाविद्यालय बलौदा जिला महासमुन्द	03	02
23		शासकीय महाविद्यालय मगरलोड जिला धमतरी	03	02
24		शासकीय महाविद्यालय, सरगांव जिला मुंगेली	02	01
25		शासकीय महाविद्यालय, गुरुर जिला बालोद	03	02
26		शासकीय महाविद्यालय बेलोदी जिला बालोद	03	02
27		शासकीय नवीन महाविद्यालय खुर्सीपार जिला दुर्ग	04	04

प्रधानाचार्य
पुसौर


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

क्र	मांग संख्या	महाविद्यालय का नाम	पूर्व में स्वीकृत पद संख्या	संशोधित पद संख्या
85	मांग संख्या-41 -2202-(03)	शासकीय महाविद्यालय, डुमरिया जरही जिला सूरजपुर	01	01
86	-0102-(103)-798	शासकीय महाविद्यालय, मंगचुआ जिला बालोद	01	01
87		शासकीय नवीन विज्ञान महाविद्यालय अंबिकापुर	03	01
88		शासकीय महाविद्यालय कांसाबेल जिला जशपुर	01	01
		कुल योग	150	150

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू0 ओ0 क्रमांक एफ 2015-38-000571/वित्त/ब-3/चार, रायपुर दिनांक 14/07/2015 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की जा रही है।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 27 / 01 / 2016

पृ.क्रमांक एफ 3-36/2015/38-1
प्रतिलिपि :-

- मान. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
- मान. मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
- मुख्य सचिव के उप सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
- विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
- सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की यू0ओ0 क्रमांक एफ /2015-38-000571/वित्त/ब-3/चार, रायपुर दिनांक 14/07/2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
- महालेखाकार छ0ग0 रायपुर।
- संबंधित जिला-कलेक्टर छ0ग0।
- संबंधित क्षेत्रीय अपर संचालक उच्च शिक्षा छ0ग0।
- संबंधित जिला-कोषालय अधिकारी.....
- संबंधित प्राचार्य
- आदेश फोल्डर
- छ0ग0 की शेर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



अवर सचिव

छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग


PRINCIPAL
MISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

कमांक एफ 3-5/2018/38-1
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 03/08/2018

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय :- प्रदेश के 35 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/ विषय/ पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।
संदर्भ :- आपकी टीप पं. कमांक 18/आउशि/योजना/नवीन विषय/2018-19 दिनांक 31/05/2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित टीप के परिपेक्ष्य में 35 शासकीय स्नातक महाविद्यालयों में सत्र 2018-19 में नवीन विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति दी जाती है जो निम्नानुसार है :-

मांग संख्या-44-राज्य आयोजना सामान्य

महाविद्यालयों की संख्या-25

क	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	सीट	नवीन सृजित पद		
					सहायक प्राध्यापक	प्रयोगशाला तकनीशियन	प्रयोगशाला परिचारक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शासकीय डॉ राधाबाई नवीन कन्या पी.जी महाविद्यालय, रायपुर	बी.ए.	भूगोल	25	1	1	1
		बी.ए.	संगीत	25	1		
2	शासकीय बीर सुरेन्द्र साय पी.जी. महाविद्यालय, गरियाबंद	बी.ए.	भूगोल	30	2	1	1
		बी.ए.	अंग्रेजी साहित्य	30	1		
		बी.ए.	संस्कृत साहित्य	25	1		
3	शासकीय राजीवलोचन महाविद्यालय राजिम	बी.ए.	अंग्रेजी साहित्य	30	1		
4	शासकीय महाविद्यालय सरायपाली	बी.कॉम	वाणिज्य	50	2		

C1(1.443)a


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

15	शासकीय महाविद्यालय तरखतपुर	बी.कॉम	वाणिज्य	40	2		
16	शासकीय महाविद्यालय कोतरी	बी.ए.	अंग्रेजी साहित्य	40	1		
		बी.एस.सी (गणित समूह)	गणित	40	1		
भौतिकशास्त्र	1		1				
17	शासकीय महाविद्यालय अकलतरा	बी.ए.	अंग्रेजी साहित्य	40	1		
18	शासकीय महाविद्यालय दीपका	बी.ए.	समाजशास्त्र	40	1		
19	शासकीय महाविद्यालय सारंगढ़	बी.ए.	संस्कृत	40	1		
20	शासकीय महाविद्यालय धरमजयगढ़	बी.एस.सी (गणित समूह)	गणित	30	1		
			भौतिकशास्त्र		1	1	1
			रसायनशास्त्र		1	1	1
21	शासकीय नवीन महाविद्यालय बरमकेला	बी.ए.	भूगोल	60	2	1	1
22	शासकीय नवीन महाविद्यालय पुसौर	बी.एस.सी (गणित समूह)	गणित	60	1		
			भौतिकशास्त्र		1	1	1
						प्रमे. त्र. .	प्रमे. परि .
23	शासकीय रामानुज प्रताप पी.जी. महाविद्यालय बैकुण्ठपुर	बी.ए.	भूगोल	40	1	1	1


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)

पृ.क्रमांक एफ 3-5/2018/38-1
प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 03/08/2018

1. निज सहायक, मान मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. मुख्य सचिव के उप सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. सचिव, छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर,
4. कलेक्टर जिला -
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर,
6. संबंधित प्राचार्य श्री. 0. ग. गुप्ता (व.ग.)
की ओर सूचनार्थ प्रेषित,
7. सभस्त फुल सचिव, छत्तीसगढ़,
8. आदेश फोल्डर ।

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रायती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक 292/ 11/आउशि/योजना/2020-21

अटल नगर, दिनांक 29/03/2022

प्रति,

✓ समस्त प्राचार्य
संबंधित शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय:- मुख्य बजट 2020-21 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों हेतु प्रावधानित चौकीदार के 127 पद एवं स्वच्छक (अंशकालीन) के 141 पद कुल-268 पदों के सृजन की सहमति वावत्।

संदर्भ:- छ.ग.शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय से प्राप्त आदेश क्र. एफ 3-52/2029/38-1 दिनांक 23/03/2022

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश द्वारा मुख्य बजट 2020-21 में प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों हेतु प्रावधानित चौकीदार के 127 पद एवं स्वीपर (अंशकालीन स्वच्छक) के 141 पद कुल-268 पदों के सृजन की सहमति प्रदान की गई है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
1	चौकीदार	लेवल-1	127
2	स्वच्छक (अंशकालीन)	कलेक्टर दर	141
योग			268

2/ निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों में चौकीदार के पद स्वीकृत किये जाते हैं:-

क्र.	मांग संख्या	जिला	महाविद्यालय का नाम	पद संख्या
1	44	रायपुर	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर	1
2	44	रायपुर	शासकीय महाविद्यालय, नवापारा गोबरा	1
3	44	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगांव	1
4	44	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा	1
5	44	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, भाठागांव	1
6	44	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुडियारी	1
7	44	रायपुर	शासकीय नवीन महाविद्यालय, समोदा	1
8	44	बलौदाबाजार	शासकीय नवीन (विधि) महाविद्यालय भाटापारा	1
9	44	बलौदाबाजार	शासकीय नवीन महाविद्यालय वटगन	1
10	44	बलौदाबाजार	शासकीय नवीन महाविद्यालय मोपका निपनिया	1
11	44	बलौदाबाजार	शासकीय नवीन महाविद्यालय सोनाखान	1
12	44	गरियाबंद	शासकीय महाविद्यालय, देवभोग	1
13	44	महासमुन्द	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द	1
14	44	महासमुन्द	शासकीय नवीन महाविद्यालय बलौदा जि. महासमुन्द	1

E:\Planing 2020-21\Planing Letter 2020-21.docx 52


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

55	44	जांजगीर चांपा	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा	1
56	44	जांजगीर चांपा	शासकीय नवीन महाविद्यालय चन्द्रपुर, जिला जांजगीर	1
57	44	जांजगीर चांपा	शासकीय नवीन महाविद्यालय विर्वा, जिला जांजगीर	1
58	44	जांजगीर चांपा	शासकीय नवीन महाविद्यालय नगरदा, जिला जांजगीर	1
59	44	कोरबा	शासकीय महाविद्यालय, दीपका	1
60	44	रायगढ़	शासकीय पी.डी. वाणिज्य एवं कला पी.जी. महाविद्यालय, रायगढ़	1
61	44	रायगढ़	शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़	1
62	44	रायगढ़	शासकीय नवीन महाविद्यालय जोबी, जिला- रायगढ़	1
63	44	रायगढ़	शासकीय नवीन महाविद्यालय पुसौर	1
64	44	रायगढ़	शासकीय नवीन महाविद्यालय बरमकेला	1
65	44	रायगढ़	शासकीय नवीन महाविद्यालय सरिया	1
66	44	जशपुर	शासकीय एन. ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	1
67	44	सरगुजा	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर	1
68	44	कोरिया	शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरमिरी	1
कुल				68
क्र.	मांग संख्या	जिला	महाविद्यालय का नाम	पद संख्या
1	41	गरियाबंद	शासकीय नवीन महाविद्यालय फिंगेश्वर	1
2	41	गरियाबंद	शासकीय नवीन महाविद्यालय मैनपुर	1
3	41	गरियाबंद	शासकीय नवीन महाविद्यालय गोहरापदर	1
4	41	बालोद	शासकीय कंगला मांझी महाविद्यालय, डौंडी	1
5	41	बालोद	शासकीय एकलव्य महाविद्यालय, डौंडी लोहारा	1
6	41	बालोद	शासकीय नवीन महाविद्यालय मंगचुवा, जि. बालोद	1
7	41	राजनांदगांव	शासकीय महाविद्यालय, मोहला	1
8	41	राजनांदगांव	शासकीय नवीन महाविद्यालय, औंधी	1
9	41	कांकेर	शासकीय लाल कलिन्द सिंह महाविद्यालय, अन्तागढ़	1
10	41	कांकेर	शासकीय नवीन महाविद्यालय सरोना, जिला-कांकेर	1
11	41	कांकेर	शासकीय नवीन महाविद्यालय दुर्गकोन्दल, जिला-कांकेर	1
12	41	कांकेर	शासकीय नवीन महाविद्यालय नरहरपुर	1
13	41	बस्तर	शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी	1
14	41	बस्तर	शासकीय महाविद्यालय, बकावण्ड	1
15	41	बस्तर	शासकीय नवीन महाविद्यालय तोकापाल, जिला-बस्तर	1
16	41	कोण्डागांव	शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल	1
17	41	कोण्डागांव	शासकीय महाविद्यालय फरसगांव, जिला कोण्डागांव	1


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)

5/ उपरोक्त सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2022-38-00191 दिनांक 21.03.2022 अनुसार दी गई है।

संलग्न- संदर्भानुसार

25.3.2022

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय

अटल नगर, दिनांक / /2022

पृ.क्रमांक / /आउशि/योजना/2020-21
प्रतिलिपि:-

1. माननीय मंत्रीजी के विशेष सहायक, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सहायक, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
3. शीघ्रलेखक, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
4. अराजपत्रित स्थापना शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. आदेश फोल्डर।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt.College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय

LIST OF FULL TIME TEACHERS

YEAR	SUBJECT	Sanctioned Post	Appointed Teachers	TEACHER'S NAME	DESIGNATION	Date of Joining in the same institution	Highest Qualification
2017-18	HINDI	1	1	SHRIBACHHA BHOY	ASST.PROFESSOR	03/10/2016	SET/2006
	ENGLISH	1	1	DR. ROHINI ARYA	ASST.PROFESSOR	27/07/2016	Ph.D./2015
	ZOOLOGY	1	1	VIJAY KUMAR KANTE	ASST.PROFESSOR	31/08/2017	SET/2013
	BOTANY	1	1	AMIT KUMAR BHOY	GUEST LECTURER	08/08/2017	M.Sc./2017
	CHEMISTRY	1	1	DR. SAROJ KUMAR	ASST.PROFESSOR	24/08/2017	Ph.D./2015
	SOCIOLOGY	1	1	JAYNARAYAN NAIK	ASST.PROFESSOR	05/09/2017	NET/2012
	POL. SCIENCE	1	1	SAVITRI AGRAWAL	GUEST LECTURER	03/08/2017	Ph.D./2008
	HISTORY	1	1	HARIHAR PRASAD CHOUHAN	ASST.PROFESSOR	04/09/2017	SET/2013
	COMMERCE	1	1	RAMESH KUMAR SAO	ASST.PROFESSOR	27/09/2017	SLET/1999
	Total	10	10	EVANTI PATEL	GUEST LECTURER	04/08/2017	NET/2015
2018-19	HINDI	1	1	SHRIBACHHA BHOY	ASST.PROFESSOR	03/10/2016	SET/2006
	ENGLISH	1	1	DR. ROHINI ARYA	ASST.PROFESSOR	27/07/2016	Ph.D./2015
	POL. SCIENCE	1	1	SAVITRI AGRAWAL	GUEST LECTURER	20/08/2018	Ph.D./2008
	SOCIOLOGY	1	1	JAYNARAYAN NAIK	ASST.PROFESSOR	05/09/2017	NET/2012
	HISTORY	1	1	HARIHAR PRASAD CHOUHAN	ASST.PROFESSOR	04/09/2017	NET/2018
	ZOOLOGY	1	1	VIJAY KUMAR KANTE	ASST.PROFESSOR	31/08/2017	SET/2013
	BOTANY	1	1	ANTIMA PRADHAN	GUEST LECTURER	24/08/2018	M.Sc./2018
	CHEMISTRY	1	1	DR. SAROJ KUMAR	ASST.PROFESSOR	24/08/2017	Ph.D./2015
	COMMERCE	1	1	RAMESH KUMAR SAO	ASST.PROFESSOR	27/09/2017	SLET/1999
	Total	10	10	GARIMA JOSHI	GUEST LECTURER	20/08/2018	M.Phil/2017
2019-20	HINDI	1	1	SHRIBACHHA BHOY	ASST.PROFESSOR	03/10/2016	SET/2006
	ENGLISH	1	1	DR. ROHINI ARYA	ASST.PROFESSOR	27/07/2016	Ph.D./2015
	POL. SCIENCE	1	1	SAVITRI AGRAWAL	GUEST LECTURER	12/09/2019	Ph.D./2008
	SOCIOLOGY	1	1	JAYNARAYAN NAIK	ASST.PROFESSOR	05/09/2017	NET/2012
	HISTORY	1	1	HARIHAR PRASAD CHOUHAN	ASST.PROFESSOR	04/09/2017	NET/2018
	ZOOLOGY	1	1	VIJAY KUMAR KANTE	ASST.PROFESSOR	31/08/2017	SET/2013
	BOTANY	1	1	ANTIMA PRADHAN	GUEST LECTURER	11/09/2019	M.Sc./2018
	CHEMISTRY	1	1	DR. SAROJ KUMAR	ASST.PROFESSOR	24/08/2017	Ph.D./2015
	COMMERCE	1	1	RAMESH KUMAR SAO	ASST.PROFESSOR	27/09/2017	SLET/1999
	Total	10	10	GARIMA JOSHI	GUEST LECTURER	11/09/2019	M.Phil/2017
2020-21	HINDI	1	1	SHRIBACHHA BHOY	ASST.PROFESSOR	03/10/2016	SET/2006
	ENGLISH	1	1	DR. ROHINI ARYA	ASST.PROFESSOR	27/07/2016	Ph.D./2015
	POL. SCIENCE	1	1	DR. MANOHAR LAL PATEL	PROFESSOR	01/07/2020	Ph.D./1991
	SOCIOLOGY	1	1	JAYNARAYAN NAIK	ASST.PROFESSOR	05/09/2017	NET/2012
	HISTORY	1	1	HARIHAR PRASAD CHOUHAN	ASST.PROFESSOR	04/09/2017	NET/2018
	ZOOLOGY	1	1	VIJAY KUMAR KANTE	ASST.PROFESSOR	31/08/2017	SET/2013
	BOTANY	1	1	ANTIMA PRADHAN	GUEST LECTURER	25/02/2021	M.Sc./2018
	CHEMISTRY	1	1	DR. SAROJ KUMAR	ASST.PROFESSOR	24/08/2017	Ph.D./2015
	COMMERCE	1	1	RAMESH KUMAR SAO	ASST.PROFESSOR	27/09/2017	SLET/1999
	Total	10	10	GARIMA JOSHI	GUEST LECTURER	25/02/2021	M.Phil/2017
2021-22	HINDI	1	1	SHRIBACHHA BHOY	ASST.PROFESSOR	03/10/2016	SET/2006
	ENGLISH	1	1	DR. ROHINI ARYA	ASST.PROFESSOR	27/07/2016	Ph.D./2015
	POL. SCIENCE	1	1	DR. MANOHAR LAL PATEL	PROFESSOR	01/07/2020	Ph.D./1991
	SOCIOLOGY	1	1	KU. SHIVANI SHARMA	ASST.PROFESSOR	28/01/2022	NET/2019
	SOCIOLOGY	1	1	JAYNARAYAN NAIK	ASST.PROFESSOR	05/09/2017	NET/2012
	HISTORY	1	1	HARIHAR PRASAD CHOUHAN	ASST.PROFESSOR	04/09/2017	NET/2018
	ZOOLOGY	1	1	VIJAY KUMAR KANTE	ASST.PROFESSOR	31/08/2017	SET/2013
	BOTANY	1	1	KAUSHAL KUMAR NAIK	GUEST LECTURER	17/11/2021	SET/2020
	CHEMISTRY	1	1	BALMUKUND PATEL	ASST.PROFESSOR	31/03/2022	SET/2017
				DR. SAROJ KUMAR	ASST.PROFESSOR	24/08/2017	Ph.D./2015
				RAMESH KUMAR SAO	ASST.PROFESSOR	27/09/2017	SLET/1999
				GARIMA JOSHI	GUEST LECTURER	18/10/2021	M.Phil/2017
				SMT. SHEETAL KERKETTA	ASST.PROFESSOR	10/02/2022	SET/2019
	Total	10	10				


PRINCIPAL
 ASHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(फोन - 0771-2636413 फेक्स - 0771-2263112)
(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

//आदेश//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/06/2020

डॉ. मनोहर लाल पटेल, पदोन्नत प्राध्यापक-राजनीतिशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को स्थानीय एवं तात्कालिक व्यवस्था के तहत अस्थायी तौर पर आगामी आदेश पर्यन्त शासकीय नवीन महाविद्यालय पुसौर जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में कार्य सहयोग हेतु आदेशित किया जाता है।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/06/2020

पृ.क्रमांक- 1592/198/आजशि/राज.स्था/2020


प्रतिलिपि:-

1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
 2. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर।
 3. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा जिला-रायगढ़ (छ.ग.)।
 4. प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय पुसौर जिला-रायगढ़ (छ.ग.)।
 5. सर्वाधिकार अधिकारी।
-की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)


PRINCIPAL
Govt. Naveen College
Pusore Dist. Raigarh (C.G.)
Govt. College Pusore
District Raigarh (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
नया रायपुर
-- 0 --

क्रमांक /4675/2012/38-1

नया रायपुर, दिनांक /02/2013

प्रति,

प्राचार्य,
संत गहिरा गुरु रामेश्वर शासकीय महाविद्यालय,
लैलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति बाबत- श्रीबच्छ भोय ।

संदर्भ :- 1. विभागीय आदेश क्रमांक 3961/3053/2012/38-1 नया रायपुर, दिनांक 12.11.12.
2. विभागीय आदेश क्रमांक 315/4678/2012/38-1 नया रायपुर, दिनांक 29.01.13.

-- 0 --

विषयांतर्गत संदर्भित आदेशों का कृपया अवलोकन करें ।

2/- संदर्भित आदेश के सरल क्रमांक 83 में श्रीबच्छ भोय की पदस्थापना, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी के पद पर संत गहिरा गुरु रामेश्वर शासकीय महाविद्यालय, लैलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.) में की गई है ।

3/- श्रीबच्छ भोय द्वारा दिनांक 04.02.2013 को पत्र प्रेषित कर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 28.02.2013 तक वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/- अतएव निर्देशानुसार आवेदन पत्र पर पूर्ण विचारोपरांत श्रीबच्छ भोय को सहायक प्राध्यापक, हिन्दी के पद पर संत गहिरा गुरु रामेश्वर शासकीय महाविद्यालय, लैलूंगा जिला रायगढ़ (छ.ग.) में कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 28.02.2013 तक वृद्धि की अनुमति प्रदान की जाती है । नियुक्ति आदेश में उल्लेखित अनुसार कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें । कार्यभार ग्रहण कराते हुए उपस्थिति पत्रक इस विभाग को भेजने का कष्ट करें ।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. Naveen College
Govt. College Raigarh (C.G.),
District- Raigarh (C.G.)

(एस0एल0 नरें)
अवर सचिव
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

// 2 //


पृ.क्रमांक / 5-76 / 4675 / 2012 / 38-1
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 13/02/2013

Speed Post

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. अपर संचालक, आयुक्त कार्यालय, उच्च शिक्षा, रायपुर।
3. श्रीबच्च भोय, ग्राम - आमापाली, पो 0 औरदा (कोडातराई) तह 0- पुसौर, जिला रायगढ़ (छ 0 ग 0) पिन कोड 496100.
4. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
आदेश फोल्डर।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Raigarh
District- Raigarh (C.G.)


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

नया रायपुर

-- 0 --

:: आदेश ::

(2)

पंजीकृत आदेश

नया रायपुर, दिनांक/2/11/2012

क्रमांक 3963 /3218/2012/38-1 :: राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 2063/95/2010/02/चयन, दिनांक 30.08.2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (अंग्रेजी) के पद पर वेतन बैंड 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6000/- में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

अ. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
1	देवाश्री चक्रवर्ती 'रामकृष्ण पुरम', 14/439, गली -एल 3, विद्यानगर, बिलासपुर, छ0ग0 पिन कोड-495004	शासकीय पं. माधवराव सप्रे कन्या महाविद्यालय, पेन्द्रारोड, जिला-बिलासपुर	अनारक्षित- महिला
2	श्रीमती शालिनी पाण्डेय, द्वारा-श्री विनोद दुबे, बी.डी. महन्त उपनगर जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा, छ0ग0 पिन कोड-495668	शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़, जिला-जांजगीर	अनारक्षित- महिला
3	राजीव तिवारी, ग्राम+पो., सेंवार, व्हाया-बिल्हा, बिलासपुर छ0ग0 पिन कोड-495224	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा, जिला-जांजगीर	अनारक्षित
4	शान्तनु घोष द्वारा-ज्योतिर्मय घोष, ईस्ट केबिन के पास, बेकरी के सामने, हेमूनगर, बिलासपुर, छ0ग0 पिन कोड-495004	शासकीय एन.ई. एस.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर, जिला-जशपुर- नगर	अनारक्षित
5	आनंद सोनी डी-163 आर.एम.एस. कालोनी, डी.ई. आफिस के पीछे, टैगोर नगर, रायपुर छ0ग0 पिन कोड-492001	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद	अनारक्षित
	डॉ. (श्रीमती) तन्जीन आरा खान, हर्ष टावर, फ्लैट नं.-ए-102, देवपुरी, रायपुर, छ0ग0	शासकीय महाविद्यालय, बरपाली, जिला-कोरबा	अनारक्षित, महिला

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

Principal
Govt. Degree College Dabhara
Champa (C.G.)

Handwritten signature

अ. क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
7	निधि मिश्रा द्वारा—श्री यू.पी. मिश्रा, 197, समता कॉलोनी, मेनरोड, रायपुर छ0ग0 पिन कोड-492001	शासकीय माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द, जिला—महासमुन्द	अनारक्षित, महिला
8	रोहिणी आर्या ऐसल अंग्रेजी सेन्टर, एम0जी0 रोड, विपरित—लक्ष्मीनारायण मंदिर, पो+जि.—रायगढ़, छ0ग0 पिन कोड-496001	शासकीय महाविद्यालय, डभरा, जिला—जांजगीर	अनारक्षित, महिला
9	मोनिका श्रीवास्तव द्वारा—संजय श्रीवास्तव, कमला डिसल, चैनपुर नाका, मनेन्द्रगढ़, जिला—कोरिया, छ0ग0 पिन कोड-497442	शासकीय लाहिडी, महाविद्यालय, चिरमिरी, जिला—कोरिया	अनारक्षित, महिला
10	श्रीमती हेमकुमारी पटेल, द्वारा—गणेशराम पटेल, सेक्टर-02, गली नं. 02 शक्ति मंदिर के पास, प्रोफेसर कॉलोनी, रायपुर, छ0ग0	शासकीय पालुराम धनानिया स्नातकोत्तर महा. रायगढ़, जिला—रायगढ़	अनारक्षित, महिला
11	डॉ (श्रीमती) श्रुति श्रीवास्तव द्वारा—डॉ. व्ही.के. श्रीवास्तव, प्रभात प्रिंटिंग प्रेस, विद्यानगर, बिलासपुर छ0ग0, पिन कोड-495004	शासकीय महाविद्यालय, घरघोड़ा, जिला—रायगढ़	अनारक्षित, महिला
12	श्रीमती निशा दुबे 32, दुबे प्रोविजन स्टोर, सुन्दरनगर, रायपुर, छ0ग0 पिन कोड-492013	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा जिला—बलौदा बाजार	अनारक्षित, महिला
13	डॉ0 शशांक गुप्ता, लेक्चरर इंग्लिश, शासकीय पॉलीटेक्नीक कॉलेज, सिंगरौली, म0प्र0 पिन कोड-486886	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद, जिला—धमतरी	अनारक्षित
14	क. हरप्रीत कौर टुटेजा दरोगापारा, जैन मन्दिर के पास, रायगढ़, छ0ग0 पिन कोड-496001	शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़, जिला—रायगढ़	अनारक्षित, महिला
15	केशरी पटेल एच-1/36, नर्मदा नगर, बिलासपुर, छ0ग0 पिन कोड-495001	शासकीय महाविद्यालय, कोतरी, जिला—मुंगेली	अनारक्षित, महिला

Principal
Govt. Degree College
Pussore, Raigarh (C.G.)

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

(Handwritten Signature)


अ. क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	4	5
45	संजीव कुमार लकड़ा "आशियाना" महुआपारा फुदुनडिहरी, अंबिकापुर जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ पिन कोड-497001	शासकीय राजीवगांधी स्नातको. महाविद्यालय, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा	अनु.जनजाति
46	निरेश कुमार कुर्र ग्राम पोतिया, पो-बिजेतला तह-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव छत्तीसगढ़ पिन कोड- 491444	शासकीय एल. सी.एस. महाविद्यालय, अंबागढ़ चौकी जिला- राजनांदगांव	अनु.जाति
47	अगस्टीन कुजूर द्वारा श्री आर.पी.कुजूर, सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय, इं.गां.कृ.वि.वि., कृषक नगर, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड-492006	शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय, रामानुजगंज जिला- बलरामपुर	अनु.जनजाति
48	भारती मंडावी बी-8, वीणा विहार, दावड़ा कालोनी, पचपेड़ी नाका, रायपुर जिला-रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड- 492001	संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद, जिला-धमतरी।	अनु.जनजाति महिला
49	जुवेल करकेट्टा द्वारा श्रीमती मेरी टोप्पो, मं.नं- 4/72, ओम नगर, जतिया तालाब रोड़, जरहाभाटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 495001	शासकीय महाविद्यालय सनावल, जिला-बलरामपुर	अनु.जनजाति
50	कु.मंजरी सिंह क्वा.नं. 8/सी, सड़क नं. A.V.D., सेक्टर-6, भिलाई नगर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन कोड- 490006	शासकीय स्व. देवीप्रसाद चौबे महाविद्यालय, साजा, जिला-बैमतरा	अनु.जनजाति महिला

- यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। जिसका शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।



PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District - Raigarh (C.G.)


क्रमश...7

5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति के प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी, तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही, भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियों अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
 6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत पहचान प्रमाण पत्र) आदि मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 के अध्याधीन रहेंगे।
 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
 तथा आदेशानुसार


 (एस0के0चौधरी)

उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 3968 /3218/2012/38-1

नया रायपुर, दिनांक 19/11/2012

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- (3) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- (4) विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) कलेक्टर, जिला-..... (छ.ग.)।

की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रेषित।


- (7) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 2063/95/2010/02/चयन, दिनांक 30.08.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गाजुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग.।
- (9) संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर छ0ग0 की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (10) अपर संचालक, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गाजुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग.।
- (11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।


की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- (12) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय..... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
- (13) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-.....
- (14) संबंधित रायपुर आर्ओ

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- (15) आदेश फोल्डर।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)


 उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-16/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1013/22/चयन/17/M दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (प्राणी शास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (प्राणीशास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री अजय मिश्रा आ श्री राकेश मिश्रा, गांधी चौक बलौदाबाजार छ.ग. 493332	शासकीय नवीन महाविद्यालय, लवन	UR
2	श्री विजय कुमार कांटे आ.श्री सौदागार कांटे, ग्राम.-बैगीनडीह पो.करनपाली, थाना बरमकेला, रायगढ़ छ.ग. 496551	शासकीय महाविद्यालय, पुसौर	SC/UR
3	श्री संतोष कुमार अग्रवाल आ.स्व. श्री प्रेमचंद अग्रवाल, मां बमलेश्वरी सर्विस सेंटर अकलतरा रोड, जांजगीर छ.ग. 495668	शासकीय महाविद्यालय, बेरला	UR
4	ममता पटेल पति श्री भुवन लाल पटेल, बाल विकास परियोजना अधिकारी एकीकृत बालविकास परियोजना धरसीवा-11 जिला-रायपुर छ.ग. 493221	शासकीय डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर	OBC/UR-F
5	श्वेता श्रीवास्तव आ.श्री आर डी श्रीवास्तव, अधिवक्ता गायत्री मंदिर चौक विद्यानगर, बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	UR-F
6	श्रीमती रेखा कश्यप पति श्री शरद कश्यप, बृहस्पति बाजार मार्ग तिलक नगर, बिलासपुर छ. ग. 495001	शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	OBC/UR-F
7	स्वप्ना मिश्रा आ. श्री के.एन.मिश्रा बी.-45 स्वर्ण जयंतीनगर रिंग रोड-2 बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय जाज्वल्यदेव नवीन कन्या महाविद्यालय, जांजगीर	UR-F
8	अर्चना पांडे पति श्री संजय पांडे एच-1/50 नर्मदा नगर बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय मयूरध्वज महादानी राजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा	UR-F
9	श्री चन्द्रकांत गवर्ना पिता श्री मोतीलाल गवर्ना, ग्राम.पो.कोर तह भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर छ. ग. 494670	शासकीय दन्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा	ST/UR


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Bussore
District- Raigarh (C.G.)

M-1

M-1

24	रेणुका ठाकुर आ.श्री मानसिंह ठाकुर आ0क. 242 गली नं 6 दीपकनगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव	ST/UR-F-O
25	पल्लवी सिन्हा पति श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा , 68 सी स्टेनली रोड, मुमफोर्डगंज इलाहाबाद उ.प्र. 211002	शासकीय महाविद्यालय, भैयाथान	UR-F-O
26	श्री चुन्नी लाल टंडन आ.श्री.तीरथ दास टंडन, सहायक कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, पुराना हाईकोर्ट भवन गांधी चौक के पास बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बकावंड जिला बस्तर	SC/UR
27	श्री आशीष कुमार मिश्रा आ.श्री राम कृष्ण मिश्रा, 42/1गंगोत्री नगर, दाण्डी,नैनी, इलाहाबाद उ.प्र. 211008	शासकीय लाल कालिन्द सिंह महाविद्यालय, अंतागढ़	UR
28	श्रीमती अल्का दुबे पति श्री संजय दुबे, c/o श्री जे.पी.तिवारी श्रीकांत वर्मा मार्ग पुष्पराज स्कूल के पास वैशालीनगर, बिलासपुर 495001	शासकीय डॉ. ज्वाला प्रसाद सिंह महाविद्यालय, मुंगेली	UR-F-O
29	प्रियंका सोनवानी आ. श्री. हंसाराम सोनवानी, वार्ड नं.-3 गुंड सेफर्ड स्कूल के पास तुमगांव रोड अयोध्या नगर महासमुंद 493445	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर	SC/UR-F-O
30	प्रिती मेश्राम आ. श्री कुलदीप मेश्राम ममता नगर, गली नं.-5 एकता चौक राजनांदगांव छ.ग. 491441	शासकीय वीरांगना अवन्ती बाई महाविद्यालय, छुईखदान	SC-F
31	श्री सुरेश कुमार पटेल आ. स्व.श्री.कालिका प्रसाद पटेल, ग्राम पो.-एरमसाही, जयराम नगर, तह. मस्तुरी,जिला-बिलासपुर छ.ग.495550	शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़	OBC
32	श्री रेमन कुमार भागव आ.श्री श्यामलाल भागव,राजीव गांधी नगर भजन स्तंभ के पास पो. आ.जुटमिल रायगढ़ छ.ग.496001	शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा	SC
33	श्री मनोज कुमार ठाकुर आ. स्व श्री रामकिशुन ठाकुर, ग्राम-पुतरवाही, पो.- चिखलाकसा,तह. -डौडी, जिला-बालोद छ.ग.491228	शासकीय लाल श्याम शाह महाविद्यालय, मानपुर, राजनांदगांव	ST
34	श्रीमती कविता ठाकुर पति डॉ हंसराज ठाकुर,सहारा निवास प्लाट नं. 40/2 वार्ड 21 सिवाजीनगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय महाविद्यालय, बोरी जिला दुर्ग	ST-F

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt.College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)

M

M-3

4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
 5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
 6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

M-4

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1013/22/चयन/17/M दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।
- (13) संबंधित प्राचार्य, की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
- (14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला (छ.ग.)।
- (15) संबंधित सर्वश्री.....
..... कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- (16) आदेश फोल्डर।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Bussore
 District- Raigarh (C.G.)


 अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

M-5

(1)

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 3⁰ सितम्बर 93

क्रमांक स्फ-1/140/93/ए-1/3 रतनशास्त्र लोका आयोग द्वारा निम्न-
लिखित अभ्यर्थियों को स्थानापन्न सहायक प्राध्यापक रतनशास्त्र के पद पर
वेतनमान रु 2200-75-2800-100-4000 में आगामी आदेश पर्यन्त अस्थाई रूप
से उनके नाम के समक्ष दर्शित स्थान पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति
पूर्णतः अस्थाई है तथा कितनी भी समय बिना सूचना के समाप्त हो जा सकेगी।

क्र०	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है।
1	2	3

कार्वनिक
=====

- श्रीमती भीता चतुर्वेदी
आपातो सहायक प्राध्यापक
द्वारा श्री सुधीर मिश्रा,
डो-24, 74 बगले भोपाल शास. एम. व्ही. एम. महाविद्यालय भोपाल
- शुभ निवेदिता
द्वारा डा. यू. डी. एन. वाचपेयी
रतनशास्त्र विभाग,
रानी लुगावती विश्वविद्यालय
जबलपुर मध्य प्रदेश शास. महाविद्यालय शिहोरा जबलपुर
- श्री अर्पण भारद्वाज
सहायक प्राध्यापक
शास. महा. सुन्दरपुर शहडोल शास. नेहरू महाविद्यालय सुन्दरपुर शहडोल
- डॉ० कुमारी रत्ना पाठक
आपातो सहायक प्राध्यापक
द्वारा श्री एन. डी. पाठक,
615 अ. पश्चिमी धामापुर
जबलपुर मध्य प्रदेश शास. महा. गाडरवाडा नरसिंहपुर
- शुभ प्रवण साहा
द्वारा श्री के. पी. साहा,
प्लॉट 9 ब्लॉक 17 नेहरू नगर
राजस्थानो. आ. रत. ए. स्फ लाईन
भिलाई मध्य प्रदेश शास. महा. पाटन दुर्ग


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District Raigarh (C. B. विभाग 1/10/93)

10. श्री विशोर अरोड़ा
11/95 राजेन्द्रनगर
तै-3 गार्हियावादा
गार्हियावादा ३०५०४
- शास. स्नातकोत्तर महा० अंबिकापुर
खरगौन
11. श्री प्रमोद भारोतराव डुमरे
एच नं. एन 949 लाला आली,
काभळी जिला-नागपुर, महाराष्ट्र
- शास. स्नातकोत्तर महा० वडवानो
खरगौन
12. श्री कमान सिंह
नेशनल शुगर इस्टीट्यूट
कानपुर ३०५०४
- शास. स्नातकोत्तर महा० डीकमगढ़
13. श्री प्रमाम कुमार पटले
पटले निवास म. नं. डी-125
सेक्टर नं. 1 देवेन्द्रनगर, रायपुर
- शास. आदर्श विज्ञान महा० रायपुर
14. श्री अशोक कुमार शुक्ल
ग्राम मठही शुक्ल पो. मठही
लालाजिला देवरिया ३०५०४
- शास. महा. निवाड़ी डीकमगढ़
15. श्री सरोज कुमार
शोध छात्र सी 216
आर.आई.टी. जमशेदपुर
सिंहभूम, विहार
- शास. महा. महासमुद, रायपुर
16. श्री संजय घोष
द्वारा श्री राजीव रंजन घोष
नया टोला भाषोपुर पोस्ट
पश्चिमघरपुर जिलाटना, विहार
- शास. महा. भाटापारा, रायपुर
17. कुं. सुनीता जॉन
ब्लॉक 3डी स्ट्रीट नं. 70
सेक्टर-4 भिलाई, दुर्ग
- शास. कला एवं विज्ञान महा० दुर्ग
18. श्री सुतो राधा तोमर
आपाती महा० रायपुर
3/20 जोधाजी विश्वविद्यालय
परिसर ग्यालियर, जमशेदपुर
- शास. स्नातकोत्तर महा० मुरैना
19. कुं. रचना शुक्ला
आपाती महा० रायपुर
द्वारा श्री रम. रत्न सोनी
महा० रायपुर, रायपुर
महा० रायपुर, रायपुर
- शास. कल्याण महा० खडवा


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

11/8/11

9

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::


नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-27/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1037/22/चयन/17/O दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (समाज शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री सुशील कुमार गुप्ता आ.स्व श्री उमाशंकरगुप्ता, म.न. 426 वार्ड नं. 2 तुलसीनगर कोरबा छ.ग. 495677	शासकीय इंजीनियर विश्वेशरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा	UR
2	स्नेहा थवायत आ. श्री सत्येन्द्र कुमार चौरसिया, कोआपरेटिव बैंक के पीछे, गांधी चौक जांजगीर, जिला-जांजगीरचांपा छ.ग. 495668	शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़ जिला जांजगीर	OBC/ UR-F
3	श्री तिलक चन्द्र देवांगन आ.श्री पूरन सिंह देवांगन, ग्राम-सम्बलपुर, पो.बमनीबाजार जिला कोण्डागांव, छ.ग. 494226	नवीन शासकीय महाविद्यालय, तोकापाल	OBC/ UR
4	श्री मुकेश कुमार कामले आ.श्री पंचराम कामले, सहायक जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल, जगदलपुर जिला वस्तर छ.ग. 494001	शासकीय आचार्य पंथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा	SC/ UR
5	श्री तरुण कुमार पदमवार आ.उमेश सिंह पदमवार, म.क. 868 के शिवशंकर होटल के पीछे महादेवघाट चौक रायपुर छ.ग. 492013	शासकीय महाविद्यालय, धमधा	UR
6	श्री धर्मेन्द्र कन्नौज आ.श्री.के.एन कन्नौज, 201 जी रिसाली सेक्टर भिलाई नगर, जिला-दुर्ग छ.ग. 490006	शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय, छुरिया	OBC/ UR
7	श्री मधुसूदन सिंह राजपूत आ. श्री जयजयराम राजपूत, ग्राम- सेमरिया, पो.साफल.तह. लोरमी, जिला मुंगेली छ.ग. 495115	शासकीय इन्दिरा गांधी महाविद्यालय पंडरिया	UR
8	श्री गौतम कुमार कुर्रे आ.श्री अनन्तु कुगार कुर्रे, गु. पो.-विटकुली, व्हाया, तह. थाना-बिल्हा, जिला बिलासपुर छ.ग. 495224	शासकीय वीर सुरेन्द्र साय महाविद्यालय, गरियाबंद	SC/ UR
9	श्रीमती निधि सिंह पति श्री अरुण कुमार सिंह, हाउस क. 16 कालीमाई वार्ड, मुंगेली, जिला -मुंगेली छ.ग. 495334	शासकीय राजीवगांधी कला/वाणिज्य महाविद्यालय, लोरमी	UR-F


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pusoor
District- Raigarh (C.S.)

10	श्री किरण सिंह आ.श्री.मोतीराम राज c/o श्री आर.के.ध्रुव पुलिस क्वार्टर के पीछे बटेना वार्ड धमतरी छ.ग. 493773	शासकीय स्नातकोत्तर रायगढ़	किरोडीमल महाविद्यालय,	ST/UR
11	श्री जयनारायण नायक आ.श्री हरिचरण नायक c/o श्री श्यामसुन्दर पटेल ग्राम घौराभाटा,पो. -गुडेली,व्हाया हरदी,तहा.सारंगढ़, जिला-रायगढ़ छ.ग.496450	शासकीय पुसौर जिला रायगढ़	महाविद्यालय,	OBC/ UR
12	श्री योगराज साहू आ. स्व.श्री तिहारू राम साहू,ग्राम मैनपुरा,पो. हनुमान मंदिर के पास मुगेली रोड पंडरिया, जिला-कबीरधाम छ.म. 491559	शासकीय मगरलोड	महाविद्यालय,	OBC/ UR
13	श्री शनि कुमार धारी आ. श्री दाऊराम धारी,राधिका विहार फेस-3 क्वा.12 लिगियाडिह, राजकिशोर नगर बिलासपुर छ.ग. 495006	शासकीय महाविद्यालय,	लरंगसाय रामानुजगंज	SC/ UR
14	श्री प्रशांत बनाफर आ.श्री जयप्रकाश सिंह बनाफर, ए/एस-145 अज्ञेय नगर बिलासपुर छ. ग.495001	शासकीय जैजैपुर	महाविद्यालय,	UR
15	श्री सर्वेश पीडिहा आ. श्री सतीश पीडिहा, सी.एच. आई.जी.-3 कान्हा कुन्ज कोलार रोड भोपाल म. प्र. 462042	शासकीय स्नातकोत्तर अम्बिकापुर	राजीवगांधी महाविद्यालय,	UR
16	श्रीमती ललिता साहू पति श्री किशोर साहू, एम. आई.जी.380 मदमानाभपुर,दुर्ग छ.ग.491001	शासकीय स्नातकोत्तर राजनांदगांव	दिग्विजय महाविद्यालय,	OBC/ UR-F
17	शैलजा गोयल आ.श्री सुरेश, सुरेश सी गोयल एण्ड कं.सी-ए सुमंगलम शहीद चौक के पास तिलकनगर बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय स्नातकोत्तर बिलासपुर	बिलासा कन्या महाविद्यालय,	UR-F
18	उमा आडिल पति श्री एम.के.आडिल, ब्लॉक 11/सी सड़क 5 सेक्टर-2 भिलाई नगर जिला-दुर्ग छ.ग.490001	शासकीय स्नातकोत्तर राजनांदगांव	दिग्विजय महाविद्यालय,	OBC/ UR-F
19	श्री वेनेन्द्र कुमार साहू आ.भरतराम साहू, म.नं. 142/5 बालक हाईस्कूल रोड वार्ड-5 वेभेतरा छ.ग. 491335	शासकीय महाविद्यालय, महासमुन्द्र	माता कर्मा कन्या	OBC
20	श्वेता जैन पति श्री अंकित जैन, 9/1072 c/o डॉ. जे.के.जैन,आयुक्त आयकर भवन के पास भारतीय नगर व्यापार विहार बिलासपुर छ.ग. 495003	शासकीय कला/वाणिज्य बिलासपुर	जे.पी. वर्मा पी.जी. महाविद्यालय,	UR-F
21	श्रीमती रश्मि कुजूर पति डॉ. निस्तार कुजूर, एस. ओ.एस. इन समाजशास्त्र पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर रायपुर छ.ग.492010	शासकीय शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा	पं. श्यामाचरण	UR-F
22	श्री सूर्यकांत साहू आ.श्री बुधराम साहू, मु.नं.पो. सिलादेही व्हाया-बिरा,जिला-जांजगीर-चांपा छ. ग.495661	शासकीय महाविद्यालय, किरन्दुल	अरविन्द	OBC
23	श्री धर्मेन्द्र घृतलहरे आ.सालिक राम घृतलहरे,ग्राम-ओड़का,पो.भिलाई, थाना आरंग, जिला -रायपुर छ.ग. 493441	शासकीय महाविद्यालय,	वीर सुरेन्द्र साय गरियाबंद	SC


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)

0 - 2

	प्रमीला नागवंशी पति श्री राधेलाल नागवंशी, ग्राम-छिलपावन, पो.व्हाया -झलप, थाना पटेवा, जिला-महासमुंद छ.ग. 493551	शास.चन्द्रपाल महा.पिथौरा जिला महासमुंद	SC-F
40	गनिषा तिग्गा पति श्री राजकुमार जायसवाल, मनेन्द्रगढ़ रोड कोल्ड स्टोरेज के सामने महापौर पारा सुभाष नगर अविकापुर, जिला- सरगुजा छ.ग.497001	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर	ST-F
41	दीपा सोम रावटे पति श्री भोजराम रावटे, एफ-29 रिक्टर व्यू कॉलोनी कोनी बिलासपुर छ.ग. 495009	शासकीय राजमहंत नयनदास महिलांग महाविद्यालय, भटगांव	ST-F
42	श्री तुलेश्वर सिंह धुवे आ श्री कुंजल सिंह धुवे, ग्राम-हीरापुर, पो.दशरंगपुर, तह.कवर्धा कवीरधाम छ.ग.491336	शासकीय शहीद वीर नारायण महाविद्यालय, बिलाईगढ़	ST

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्युडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)

0-4

लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।

8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तों) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश यादव)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

पृ.क्र. एफ 1-27/2017/38-1
प्रतिलिपि :-


- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 1037/22/चयन/17/O दिनांक 31.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussora
District- Raigarh (C.G.)

0-5

- (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर/अंबिकापुर/बरतार/जगदलपुर(छ.ग.)।
- (13) संबंधित प्राचार्य, शास, महाविद्यालय पुसौर की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।
- (14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला रायगढ़ (छ.ग.)।
- (15) संबंधित सर्वश्री जयनाशयण नाथक कृपया अपराधिक प्रकरण न होने संबंधी शपथ पत्र कार्यभार ग्रहण पश्चात विभाग को उपलब्ध करावें।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- (16) आदेश फोल्डर।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pusore
District- Raigarh (C.G.)


संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

क्रमांक एफ 1-29/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1036/22/चयन/17/K दिनांक 31.7.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (इतिहास) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री दिनेश कश्यप आ. श्री.शिवसेवक कश्यप, कंकाली मंदिर के पास ब्राम्हण पारा वार्ड-3 लोरमी जिला- मुंगेली छ.ग.495115	शास.महाविद्यालय, पंडरिया,जिला- कबीरधाम	OBC /UR
2	श्री ऋषिराज पांडे आ.श्री शिवकुमार पाण्डे c/o श्री विजय कुमार शर्मा म.नं.343 वार्ड 24 गली पं 3 आर के वुट हाउस गली तेलीपारा बिलासपुर छ.ग.496001	शासकीय गजानन्द अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा	UR
3	श्री ज्ञापेश शुक्ला आ श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, ब्राम्हण पारा आजाद वार्ड-37 राजनादगांव छ.ग. 491441	शासकीय बट्टी प्रसाद महाविद्यालय, आरंग	UR
4	श्री योगेन्द्र कुमार साहू आ. श्री भागीरथी साहू, ग्राम मडई पो खम्हरिया व्हाया-बलौदा अकलतरा, जिला-बिलासपुर छ.ग. 495559	शासकीय महाविद्यालय, फास्टरपुर (सेतगंगा)	OBC /UR
5	श्री राजेश कुमार चन्द्रा आ श्री छोटे लाल चन्द्रा आ.क. एमआईजी 2/4 हाउसिंग बोर्ड कालोनी नमनकला जिला सरगुजा छ.ग. 497001	शासकीय ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर	OBC /UR
6	श्री चन्द्र प्रकाश यादव आ. श्री गिरीजा शंकर यादव, अलवेड़ापारा कोण्डागांव छ.ग.494226	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	OBC /UR
7	श्री प्रताप चौधरी आ.ईश्वर लाल चौधरी, वार्ड नं. 41 स्कूल पारा छातामुरा जिला- रायगढ़ छ.ग. 496001	शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकर	OBC
8	श्री हरिहर प्रसाद चौहान आ.स्व.श्री ताराचंद चौहान c/o श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल पतरा पाली पश्चिम ट्रांसपोर्ट नगर रायगढ़ छ.ग. 496001	शासकीय महाविद्यालय, पुसौर	SC
9	श्री कृष्ण कुमार देवांगन आ.श्री सोनसाय देवांगन, आ.क. 594 आदर्श चौक सुन्दरनगर रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर)	OBC


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

10	अमिता बिसेन पति श्री उत्तम बिसेन आर्किटेक्ट राजकुमार कालेज गेट साउथ के पास अश्वनी नगर महादेवघाट रोड रायपुर 492013	शासकीय स्व. सत्यनारायण अग्रवाल महाविद्यालय तिल्दा-नेवरा कोहका	OBC-F
11	श्री दिपक कुमार मेश्राम आ स्व श्री छोटेलाल मेश्राम दल्ली रोड बालोद छ.ग. 491226	शासकीय वृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी	SC
12	श्री शत्रुहन कुमार घृतलहरे आ.श्री बंशीलाल, क्वा. नं. 196 गीतांजली सिटी फेस 2 बहतलाई रोड बिलासपुर छ.ग. 495006	नवीन शासकीय महाविद्यालय, फरसगांव	SC
13	श्री नारायण राव सावरकर आ श्री बसंत राव सावरकर, कोरवा पारा त्रिभुति टाकिज के पास चांपा, जिला-जांजगीर चांपा छ.ग. 495671	शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, नवागढ़	SC
14	श्री भेदनाथ पटेल आ श्री चन्द्रभानु पटेल ए-69 पौवर सिटी कॉलोनी अयोध्यापुरी पो. जमनीपाली, तह.कटघोरा जिला-कोरवा छ.ग. 495450	शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुरनगर	OBC
15	श्री रामानुजप्रताप सिंह धुर्वे आ. श्री जी.एस.धुर्वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरसिया जिला- रायगढ़ छ.ग.496661	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी	ST
16	श्री हिरेन्द्र बहादुर ठाकुर आ. स्व.श्री अंजोर सिंह ठाकुर, म.नं.30 सेक्टर 2 गली नं.4 शक्तिमाता मंदिर के पास प्रोफेसर कॉलोनी रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा	ST

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्युडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.C.)

संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।

6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ज्ञायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
 8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
 9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
 11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(भुवनेश यादव)
संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/08/2017

पृ.क्र. एफ 1-29/2017/38-1
प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

493

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 20/09/2017

क्रमांक एफ 1-30/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 1263/22/चयन/17/G दिनांक 31.8.2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद हेतु मुख्य सूची से अनुशंसित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	लाली शर्मा आ. श्री घनश्याम शर्मा, बगीचा के पीछे, सड़क नं. 4 शिक्षक नगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय कमलादेवी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव	UR-F
2	श्री आशीष कौशिक आ श्री नरेश कुमार कौशिक, उमेश किराना दुकान के पास, बिलासपुर रोड, लक्ष्मीपुर, अंबिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. 497001	शासकीय नवीन महाविद्यालय, सिलफिली	UR
3	श्री गौरव शर्मा आ. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, c/o श्री बिसहत राम सिन्हा चोपड़ा पैलेस के पीछे जोन क. 03 सड़क नं. 07 न्यू आदर्श नगर दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय स्व. चन्दूलाल चन्द्राकर महाविद्यालय, पाटन	UR
4	श्री रोहन अग्रवाल आ. श्री राजेद्र अग्रवाल, आशियाना एच क.335 रामदयाल शर्मा कालोनी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड भाटापारा जिला- बलौदाबाजार छ.ग. 4931118	शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय, सिमगा, जिला- बलौदाबाजार	UR
5	विनीता जडाला पति श्री जडाला शंकरा स्वामी, जेठानी स्टोर्स सदर बाजार चांपा, जिला- जांजगीर चांपा छ.ग. 495671	शासकीय महाविद्यालय, नवागढ़ जिला. जांजगीर-चांपा	UR-F
6	श्री रेणु कुमार यादव आ. स्व श्री बेदुराम यादव, भारतीयम मून लाईट स्कूल के पास गोरखा कालोनी के पीछे न्यू शांतिनगर रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय स्व. सत्यनारायण अग्रवाल महाविद्यालय, तिल्दा-नेवरा कोहका	OBC /UR
7	श्री आशुतोष कौशिक आ. श्री नरेश कुमार कौशिक, उमेश किराना दुकान के पास बिलासपुर रोड, लक्ष्मीपुर, अंबिकापुर छ.ग. 497001	शासकीय राजीवगांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अंबिकापुर	UR
8	श्री अनुज कुमार चौरसिया आ श्री राधेश्याम चौरसिया, (ब्याख्याता) शास.आ.रा.उ.मा.वि. बैकुण्ठपुर, जिला - कोरिया छ.ग. 497335	शासकीय लाहिडी महाविद्यालय, चिरमिरी	OBC /UR
9	श्रीमती संध्या प्रसाद पति श्री बृजेश प्रसाद, क्वा. नं. ई/3 धरमपुरा नं. 3 जगदलपुर जिला बस्तर छ.ग. 494001	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर	UR-F

.....2


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

G-1

25	श्री रोहित आ. श्री कन्हैया लाल,ग्राम डहिया,(रस्तोगी भवन) पो.रामनगर थाना-अलीनगर, जिला -चंदरौली उ.प्र. 221008	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरन्दुल दन्तेवाड़ा	UR
26	श्री रमेश पटेल आ. श्री भोला प्रसाद पटेल, ग्राम देवरी (जगदीशपुर) पो.भीष्मपुर,तह.- अमर पाटन जिला-सतना म.प्र. 485778	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर	UR
27	श्री नरोत्तम शर्मा आ.श्री बजरंग लाल शर्मा, नरसीयन वार्ड क.21 के पीछे, लादनुन जिला-नागौर राजस्थान 341306	शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी जिला -बस्तर	UR
28	श्री ज्ञान रंजन बल आ.श्री गदाधर बल एटी/पीओ बन्धा पटना व्हाया- मदनपुर जिला केन्द्रापारा उड़िसा 754246	शासकीय महाविद्यालय, बोड़ला जिला- कबीरधाम	UR
29	श्री विजय कुमार देवांगन आ श्री चुड़ामणी देवांगन मकान.नं. 13/53 वार्ड नं. 15 बैगापारा सदर स्कूल के पीछे सक्ती जिला जांजगीर चांपा छ.ग. 495689	शासकीय क्रांति कुमार भारतीय महाविद्यालय, सक्ती,	OBC /UR
30	श्री गोपाल कृष्ण यादव आ. श्री राधेश्याम यादव, म.नं. 1 एकता कालोनी प्रगतिनगर कमल किराना स्टोर्स के बाजु मोवा जिला-रायपुर छ.ग. 492007	शासकीय महाविद्यालय, आरा जिला- जशपुर	OBC /UR
31	श्री अभिन्न श्रीवास्तव आ. श्री अमृत्यु कुमार श्रीवास्तव c/o एस.बी.पाण्डे एडोकेट,बाल्टी फैक्ट्री के पास जोरापारा सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छ.ग. 495004	शासकीय महाविद्यालय, प्रेमनगर, जिला-सूरजपुर	UR
32	श्री नरेन्द्र देव मिर्जा आ. श्री महेशराम मिर्जा,म.नं. 3 ग्राम-मल्लिन पो.कोनारी, तह.पलारी जिला-बलौदाबाजार छ.ग. 493228	शासकीय दाऊ कल्याण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार	SC /UR
33	शुभाराय चौधरी पति श्री विवेक मार्क विल्लियम,आ.क.1 गली नं.आर 6 विनोबा नगर बिलासपुर छ.ग. 495001	शास.महा. कोतरी जिला -मुंगेली	UR-F
34	श्रीमती रचना मिश्रा पति श्री प्रभात मिश्रा, एफ-38 राजधानी विहार कचना रोड सड़्डू रायपुर छ.ग. 492007	शासकीय स्व. दौलतराम महाविद्यालय, कसडोल,जिला-बलौदाबाजार	UR-F
35	श्री प्रवीण चन्द्र सतपती आ श्री घनश्याम सतपती हॉटल एनम्स के पीछे, पुरानी टोली जशपुर नगर जिला-जशपुर छ.ग.496331	शासकीय महाविद्यालय, बलौदा जिला -महासमुन्द	UR
36	श्री नूतन कुमार देवांगन आ श्री भारत सिंह देवांगन,पंचशीलनगर दुर्ग वार्ड क.1 मां परमेश्वरी किराना स्टोर्स, चन्द्रशेखर स्कूल के पास दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव	OBC /UR
37	श्री कमल नारायण ठाकुर आ श्री रामगोपाल ठाकुर स्टेशनरोड इंदिरागांधी वार्ड केलकरपारा म. नं. 20/255 रायपुर छ.ग.492001	शासकीय वीर गैद सिंह महाविद्यालय, पखांजूर, जिला-कांकेर	OBC /UR
38	श्री रमेश कुमार साव आ श्री दयानिधि साव c/o दया टेलर्स जगन्नाथ मंदिर के पास मुहल्ला बैकुंठपुर जिला-रायगढ़ छ.ग. 496001	शासकीय महाविद्यालय, पुसौर जिला रायगढ़	OBC /UR
39	श्री सतीश कुमार आ. श्री सुरिन्दर सिंह ग्रा.पो. वादलाकलान तह.जिला- कपूरथला, पंजाब 134118	शास.महा. धरमजयगढ़ जिला रायगढ़	UR

.....4


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Buxoro
 District- Raigarh (C. G.)

Gc 3

55	श्री शिवराम सिंह श्याम आ. श्री छटऊसिंह श्याम, एलआईजी 1130 सेक्टर-7 हाउसिंग बोर्ड कालोनी सड्डू रायपुर छ.ग. 492007	शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई जिला-कबीरधाम	ST
56	श्री समीर जायसवाल आ श्री डी.पी.जायसवाल, म. नं. 4ए सडक-72 सेक्टर-6 भिलाई नगर, जिला-दुर्ग छ.ग. 490006	शासकीय महाविद्यालय, बोरी, जिला-दुर्ग	OBC
57	मल्लिका वैश्य आ श्री ध्यानचंद वैश्य, वार्ड-13 रेल्वे फाटक के पास चर्च गली जे.के.डी.पोस्ट मनेन्द्रगढ़ जिला-कोरिया छ.ग. 497442	शासकीय महाविद्यालय, भैयाथान जिला -सूरजपुर	SC-F
58	श्री रमेश कुमार मौर्य आ.श्री मिठलाल मौर्य, रामगढ़ रोड ग्राम पो. थाना- उदयपुर, जिला सरगुजा छ.ग. 497117	शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरवा	OBC
59	आदिती रानी भगत आ. श्री बिदेश्वर राम भगत, अधीक्षिका, आदर्श पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास,कालीबाड़ी रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय धरसीवा	ST-F
60	श्रीमती रश्मि यादव पति श्री राजेश यादव, ओ.पी. जिंदल स्कूल हाउसिंग कॉलोनी क्वा.नं.एफ-9 खरसिया रोड रायगढ़ छ.ग.496001	शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़	OBC-F
61	श्री शरद कुमार देवांगन आ. श्री रामलाल देवांगन, जीन्स हाउस नागोराव शेष स्कूल के पास जूना बिलासपुर छ.ग. 495001	शास.भवर सिंह पोर्त महा.पेण्ड्रा, जिला- बिलासपुर	OBC
62	श्रीमती राजेश्वरी सोनी पति श्री घनश्याम सोनी, बी. टी.आई.रोड महासमुंद छ.ग. 493445	शास.महा.प्रभू वल्लभाचार्य पी.जी. महा.महासमुंद	OBC-F
63	श्री संजय कुमार देवांगन आ. श्री फत्तुराम ग्राम डुडिया, पो. अर्जुन्दा तह.गुण्डरदेही,जिला-बालोद छ.ग. 491225	शास.दिग्वीजय पीजी महा. राजनांदगांव	OBC
64	श्री मोहन लाल वर्मा आ.श्री. गैंदराम वर्मा, 51/1221 मजार के पास,सुभाष नगर कुकरीपारा, महामाया मंदिर वार्ड, रायपुर छ.ग. 492001	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी, जिला- जशपुर	OBC
65	मीरा टंडन आ.श्री जी.पी.टंडन, नागदौने कॉलोनी, व्यापार विहार रोड, तालापारा बिलासपुर छ.ग. 495001	शासकीय महाविद्यालय, पामगढ़, जिला- जांजगीर-चांपा	SC
66	श्री जीवन राम सोरी आ श्री तुकाराम सोरी, ए-5 केपीटल सिटी फेस-1 विधानसभा रोड सड्डू रायपुर छ.ग. 492014	शासकीय ठाकुर शोभासिंह महाविद्यालय, पत्थलगांव, जिला- जशपुर	ST
67	श्री मोहित कुमार साव आ श्री प्रमोद कुमार साव एमआईजी- 2/12 मीनाक्षी नगर बोरसी रोड दुर्ग छ.ग. 491001	शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा, जिला- बालोद	OBC

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)



Gc-5


4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियुक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियुक्ता द्वारा सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारीयां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियुक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार-


 (दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

6-6

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

— 0 —

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25/01/2022

क्रमांक एफ 1-27/2021/38-1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 19.06.2021 को सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारंभिक वेतन रूपये 57,700/- तथा समय-समय पर देय महगाई भत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

स. क्र.	चयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	प्रस्तावित पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05
01	07	श्री शिवम सुखदेवे, एफ-30, जल संसाधन कॉलोनी, कटोरा तालाब, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492001	UR	शहीद राजीव पांडे शासकीय महाविद्यालय भांटागांव, जिला रायपुर (छ.ग.)
02	10	श्री पुनीत गुप्ता, S/O श्रीमती चम्पा देवी, ग्राम शिवपुर, पो. भुवनेश्वरपुर, तहसील रामानुजनगर, जिला सूरजपुर (छ.ग.) पिन 497333	OBC	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)
03	11	सुश्री हर्षा साहू, ग्राम पकरिया (लटिया), तहसील अकलतरा, पो0 आँ0 अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन 49552	OBC	शशिधर पंडा शासकीय महाविद्यालय सरिया, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
04	12	श्री बृजभूषण वर्मा, म0न0 149, महामाया चौक, ग्राम व पोस्ट मड़मड़ा, वि.ख. बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) पिन 491995	OBC	शासकीय नवीन महाविद्यालय गोहरापदर, जिला गरियाबंद (छ.ग.)

निरन्तर ---2---


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District Raigarh (C.G.)

05	13	श्री ओम प्रकाश गुप्ता, ग्राम मदार, पोस्ट कमारी, थाना राजपुर, जिला बलरामपुर (छ.ग.) पिन 497118	OBC	शासकीय महाविद्यालय राजपुर, जिला-बलरामपुर
06	15	श्री आशीष बरगाह, वार्ड क्र० 13, पैलेश रोड, राजापारा, सारंगढ़, जिला रायगढ़ (छ०ग०) पिन 496445	OBC	शासकीय नवीन महाविद्यालय चपले, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
07	16	श्री मन्ना राम पटेल, वार्ड नं० 03, जनता क्वॉटर के पास, हाउसिंग बोर्ड स्टॉफ क्वॉटर 5-4 नेहरू नगर, बिलासपुर (छ.ग.) पिन 495001	OBC	शासकीय एस.एन.जी. महाविद्यालय मुंगेली, जिला मुंगेली (छ.ग.)
08	18	श्री बिकलेस कुमार गुप्ता, म. नं० 75/1, पनिकापारा, ग्राम लोधिया, (सुन्दरपुर) पो. आं. भिटठीकला, जिला सरगुजा (छ.ग.) पिन 497001	OBC	शासकीय नवीन महाविद्यालय मैनपाट, जिला सरगुजा (छ.ग.)
09	21	श्री शंकर लाल माथुर, ग्राम तुरकाडीह, पो० आ० घुटकू, तहसील सकरी, जिला बिलासपुर (छ०ग०) पिन 495112	SC	शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)
10	25	श्री फिरत राम, मु. व पो. बरपाली, तहसील करतला, जिला कोरबा, (छ.ग.), पिन. 495674	ST	शासकीय नवीन महाविद्यालय जटगा, जिला कोरबा, (छ.ग.)
11	26	सुश्री स्नेहा दुबे, आई-4, शताब्दी नगर, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) पिन 492001	UR	शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागांव, नवा रायपुर अटल नगर
12	27	सुश्री शिवानी शर्मा, ग्राम व पोस्ट नवापारा (टेण्डा), तहसील घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ.ग.) पिन 496111	UR	विष्णु चरण गुप्ता शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.)
13	28	सुश्री धनेश्वरी कोसले, ग्राम परसदा, पोस्ट ऑफिस पलौद, थाना मंदिर हसौद, हसौद, तह. आरंग, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492101	SC	भक्त माता कर्मा शासकीय महाविद्यालय समोदा, जिला रायपुर (छ.ग.)
14	31	सुश्री मोना बर्मन, हाऊस नं० 26, मास्टर पारा, छिरछुट्टी, पोस्ट-बैगाकापा, तह. लोरमी, जिला मुंगेली (छ.ग.) पिन 495115	SC	शासकीय गजानंद माधव मुक्ति बोध महाविद्यालय सहसपुर लोहारा, जिला कबीरधाम-कवर्धा (छ.ग.)
15	32	श्री भानु प्रताप सिंह, वार्ड क्र. 15, मेड़ापारा, रतनपुर, पोस्ट व थाना रतनपुर, तह० कोटा, जिला बिलासपुर (छ०ग०) पिन 495113	ST	शासकीय आचार्य पंथ श्री गंधमुनि नाम साहब स्नातकोत्तर महाविद्यालय कबीरधाम, जिला कबीरधाम-कवर्धा (छ.ग.)
16	34	श्री अलंकृत लकरा, द्वारा श्री महेश लकड़ा, म.नं. 119 (क) डाकघर के पास, मण्डी रोड सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ.ग.)	ST	शासकीय विजय भूषण सिंह देव कन्या महाविद्यालय जशपुरनगर, जिला जशपुर (छ.ग.)

29	54	श्री जितेन्द्र कुमार मंडावी, शंकरनगर, तहसील व थाना-भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) पिन 494669	ST	शासकीय महाविद्यालय पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
30	56	श्रीमती मालती पैकरा, बोधघाट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पं. सुदरलाल शर्मा वार्ड 32, जगदलपुर, जिला बस्तर, (छ.ग.) पिन 494001	ST	स्व. विदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय कुम्हारी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
31	57	श्री अनुपा तिग्गा, द्वारा श्री संतोष कुमार तिग्गा, म.नं. 569, डॉ. कर्नल दुबे क्लिनिक के पीछे, शांति नगर, बिलासपुर (छ.ग.) पिन 495001	ST	शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)
32	58	सुश्री सरिता तारम, पानी टंकी के पास, सरगीपाल, तहसील व जिला कोण्डागांव, (छ.ग.) पिन 494226	ST	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:-
प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
- अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण करते समय सुसंगत शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा कराना होगा।
- शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट) मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
- अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, रथाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं विभागीय सेवा भरती नियम के अंतर्गत शासित होगी।
- अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा 01 नवम्बर, 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।

निरन्तर --5--


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

8. परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
9. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
10. आदेश में कोई टंकण त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी ही मान्य की जावेगी।
11. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये, तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

3/ उपर्युक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख अनुसार आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रचलित WP(S) 3239/2021, सुश्री भोजकुमारी पटेल विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य WP(S) 1377/2021 श्री आकाश देवांगन WP(S) 1305/2021 संतावना ठाकूर विरुद्ध अन्य में मान0 उच्च न्यायालय में समय समय पर पारित अंतरिम आदेश के अनुसार कोई भी नियुक्ति आदेश उक्त याचिका में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। रिव्यू पिटीशन 16/2021 सुश्री रचना सिंह विरुद्ध छ.ग.शासन एवं अन्य उपर्युक्त याचिकाओं के अलावा सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में एवं राजनीति शास्त्र विषय के संबंध में यदि कोई याचिका होगी, तो उक्त नियुक्ति उक्त याचिका में होने वाले निर्णय के अधीन होगी।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1-27/2021/38-1,

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 25/01/2022

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 843/01/चयन/2020/03, दिनांक 05.07.2021 के संदर्भ में
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.

निरन्तर --5--


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.O.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
-- 0 --
:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 21/01/2022

क्रमांक एफ 1-33/2021/38-1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर दिनांक 06.07.2021 को सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारंभिक वेतन रूपये 57,700/- तथा समय-समय पर देय महंगाई भत्ता सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख खाना-5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

स. क्र.	चयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	प्रस्तावित पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05
01	01	श्री विजय कुमार साहू पता- ग्राम-कोदाभाट, थाना-कांकेर, तह+जिला-उ.ब. कांकेर (छ.ग.) पिन-494334	OBC	शासकीय आदर्श महाविद्यालय कांकेर
02	04	श्री आवेश गोयल पता- द्वारा गहना ज्वेल्स, मछली तालाब के सामने, डभरा रोड खरसिया, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) पिन-496661	UR	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय सारंगढ़
03	05	सुश्री पद्मा सोमनाथे पता- द्वारा श्री महेश सोमनाथे जी-12, साई विला भाटागांव रायपुर (छ.ग.) पिन- 492013	OBC	स्व. बिदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय कुम्हारी, जिला-दुर्ग
04	06	सुश्री हर्षा देवानी पता- थाना सीटी कोतवाली, गीतांजली नगर गली नं.04 कश्यप कॉलोनी पुराना बस स्टैंड के पास बिलासपुर (छ.ग.)	UR	शासकीय नवीन महाविद्यालय सकरी


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

निसर

55	101	श्री तीरथ बरिहा, पता- ग्राम-टेका, थाना-पिथौरा, जिला- महासमुन्द. (छ.ग.)	ST	चैयतूगायता (आलोर) शासकीय महाविद्यालय फरसगांव, जिला-कोण्डागांव
56	104	सुश्री अनिक्षा अंचल, पता- द्वारा एन.के. दुग्गा, गली नं.-5 शांति नगर बिलासपुर, (छ.ग.)	SC	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय कोण्डागांव
57	106	श्री अजय कुमार (OL), पता-ग्राम-अचाचनकपाली, पो.अ.-छिन्द तह.+थाना-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिन-496445	SC	शासकीय महाविद्यालय घरघोड़ा, जिला-रायगढ़
58	111	सुश्री ज्योति भगत, पता-ग्राम+पोस्ट-कुडेकला, पुलिस स्टेशन-छाल, तह.-धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) पिन-496665	ST	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डे महाविद्यालय सारंगढ़, जिला-रायगढ़
59	112	श्री तरुण कुमार, पता- सडक-1, क्वा-सी, ब्लॉक-1 सेक्टर-7, मिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिन-490006	ST	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय बालोद
60	113	सुश्री गरिमा तिर्की, पता- मेयर कॉलोनी, गली नं. 02, साई मंदिर रोड सुभाषनगर, अंबिकापुर, थाना-गांधीनगर जिला-सरगुजा (छ.ग.)	ST	शासकीय नवीन महाविद्यालय मैनपाट, जिला-सरगुजा
61	115	सुश्री ओमेगा कुजूर, पता- द्वारा श्रीमती शारदा कुजूर, पन्ना नगर म.क. 1565, वार्ड क. 21 गैरव पथ बिलासपुर, (छ.ग.)	ST	शासकीय महाविद्यालय डभरा, जिला-जांजगीर चांपा
62	117	श्री बेचु लाल सोनवानी, पता- द्वारा श्री रोहित लाल भारिया, वार्ड नं.-9 महलपारा (खालपारा) पो. बैकुंठपुर, जिला- कोरिया (छ.ग.) पिन-497335	ST	शासकीय महाविद्यालय जनकपुर, जिला-कोरिया
63	118	सुश्री शीतल केरकेट्टा, पता-महर्षि स्कूल के सामने, पोस्ट-बोईदादर, थाना- चकधर नगर, जिला- रायगढ़ (छ.ग.) पिन- 496001	ST	विष्णुचरण गुप्ता शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़
64	119	श्री विक्रांत मोदी, पता-ग्राम-पोस्ट- सागीभवना, तह. -कांसाबेल, जिला- जशपुर (छ.ग.)	ST	शासकीय ठाकुर शोभा सिंह महाविद्यालय पत्थलगांव, जिला-जशपुर

निरतर


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)

85	165	श्री स्वतंत्र कुमार जटाशंकर, पता-ई/63 यदुनंदन नगर, तिफरा, बिलासपुर, (छ.ग.) पिन-495223	ST	पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक शासकीय महाविद्यालय, झलमला, जिला-कबीरधाम
86	166	श्री योगेश ध्रुव, पता- गोडवाना भवन के पास अशोक नगर चौक, सरकण्डा, बिलासपुर (छ.ग.)	ST	शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, बोडला, जिला-कबीरधाम
87	170	सुश्री अनुभा मिंज, पता-ग्राम कोरन्धा, पो+तह. शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर (छ.ग.) पिन- 497118	ST	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर, जिला-सूरजपुर
88	172	श्री उत्तम सिदार, पता- हाउस नं. 149, संवरा पारा, ग्राम+ पोस्ट-डमरा, तहसील-बरमकेला, जिला रायगढ़ (छ.ग.) पिन- 496551	ST	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बिरा, जिला-जांजगीर चांपा
89	176	श्री प्रवीण मिंज, पता- वार्ड क. 05 म.न. 749 जी.ई.एल. चर्च पारा ढिमरापुर रायगढ़, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)	ST	शासकीय महाविद्यालय, बगीचा, जिला-जशपुर
90	179	श्री हुकेश कुमार मारकण्डे (OL), पता- म. नं. 13 सतनामी पारा उत्तर, ग्राम व पोस्ट-कोन्डापारा थाना, कुरुद, जिला- धमतरी (छ.ग.)	SC	शासकीय नारायण राव मेघावाले कन्या महाविद्यालय, धमतरी

2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:-
प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
- अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वरथता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण करते समय सुसंगत शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा कराना होगा।
- शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

निरंतर...


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

//11//

5. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट) मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
 6. अभ्यर्थी कृी परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं विभागीय सेवा भरती नियम के अंतर्गत शासित होगी।
 7. अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा 01 नवम्बर, 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 8. परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
 9. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 10. आदेश में कोई टंकण त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी ही मान्य की जावेगी।
 11. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये, तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- 3/ उपर्युक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख अनुसार आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रचलित WP(C) 591, 592, 593 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यक्षीन होगी। उपर्युक्त आरक्षण संबंधी याचिकाओं के अलावा सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में वाणिज्य विषय के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में निम्न याचिकाएं विचाराधीन हैं :-
01. डब्ल्यू पी. (एस.) 5229/2020 श्री दिनेश कुमार देवांगन विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में अगली सुनवाई तक वाणिज्य विषय में विकलांग के लिए 01 पद रिक्त रखने का आदेश दिया गया है।
 02. डब्ल्यू पी. (एस.) 1293/2021 श्री यश वाधवा विरुद्ध छ.ग. शासन एवं 02 अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित अंतरिम आदेश के अनुसार कोई भी नियुक्ति आदेश उक्त याचिका में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
 03. डब्ल्यू पी. (एस.) 1329/2021 सुश्री सरोज क्षेमानिधि विरुद्ध लोक सेवा आयोग एवं अन्य तथा डब्ल्यू पी. (एस.) 1213/2021 श्री टिकेन्द्र साहू विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में अगली सुनवाई तक वाणिज्य विषय का 01 पद रिक्त रखने का आदेश दिया गया है।
 04. डब्ल्यू पी. (एस.) 4924/2021 श्री नितेश अग्रवाल विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में अनारक्षित श्रेणी में वाणिज्य विषय के सहायक प्राध्यापक का 01 पद सुनवाई की अगली तिथि तक रिक्त रखा जाये के आदेश दिये गये हैं।


निरस्त


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

उपरोक्त मासिकताओं में मासिक व्याजलय द्वारा मासिक अंतिम भाग्य के अनुसार कर्मचारी की आवेगी तथा अन्य विद्युतिकायक अन्य मासिकताओं में मासिक भाग्य वाले प्रीमियम विधेय के अधीन होगी। अन्य मासिकताओं के अलावा अन्य विधेय पर यदि कोई और मासिकता होगी, तो अन्य विद्युतिकायक अन्य मासिकता में होने वाले प्रीमियम के अधीन होगी।

4. अंतिम विधेय अर्थात् कि उपरोक्त विद्युतिकायक में आरक्षण विधेयों को पालन किया गया है।

100तीसमक के अन्वयानुसार के नाम से
नया आदेशानुसार


(P. Anand Swain)
अवर सचिव

100ग0 शारान, उच्च शिक्षा विभाग

पु क्रमांक एफ 1 33, 2021 आ 1.
परिशिष्ट

नया रायपुर अटल नगर दिनांक 21/01/2022

01. अवर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री 100तीसमक, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर,
02. महालेखाकार, रायपुर 100तीसमक
03. सचिव 100तीसमक लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 1044 01 मसन, 2020 06 दिनांक 10/07/2021 के संदर्भ में
04. आगुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, 10 ग.
05. आगुक्त, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग / रायगुजा / रायपुर समाम, (10 ग.),
06. संचालक कौष लेखा एवं पेशन, इंदारती भवन, नया रायपुर अटल नगर,
07. संबंधित समस्त कलेक्टर, (10 ग.),
08. डी सी ग अवर संचालक, उच्च शिक्षा, बस्तर / बिलासपुर / दुर्ग / रायगुजा / रायपुर (10 ग.),
09. मासिक उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर,
10. संबंधित समस्त जिला कौषालय अधिकारी, (10 ग.),
11. संबंधित समस्त प्राचार्य ।
आदेशानुसार कृपया संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्ण सुरागत शैक्षणिक दस्तावेज, महचान पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण पत्र/अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अग्रणी को कार्यभार ग्रहण करावे। अन्य सभी दस्तावेजों की अग्रणी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अभिलेख हेतु रखे,
12. संबंधित अग्रणी.....
13. आदेश फोल्डर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु असेधित।


अवर सचिव

100ग.शारान, उच्च शिक्षा विभाग


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pissore
District- Raigarh (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी मवन, नवा रायपुर अटल नगर,

-- 0 --

:: आदेश ::

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24/03/2022

क्रमांक एफ 1-36/2021/38-1 :: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं तात्कालिक के आधार पर दिनांक 14.07.2021 को सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित (भर्ती परीक्षा 2019) निम्न अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) के पद पर अकादमिक वेतन लेवल 10 में प्रारंभिक वेतन रूपये 57,700/- तथा समय-समय पर दिये नहगाई नत्ते सहित 03 वर्ष की परिवीक्षा पर नियुक्त करते हुए उन्हें उनके नाम के सम्मुख कॉलन-5 में उल्लेखित स्थान पर पदस्थ किया जाता है:-

स.क्र.	चयन सूची का क्र.	नाम	प्रवर्ग	पदस्थापना स्थल
01	02	03	04	05
01.	02	श्री बालमुकुन्द पटेल, ग्राम जकेला, पो. औरदा, तह. पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) पिन 496100	OBC	विष्णुचरण गुप्ता शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़
02.	03	सुश्री सुनीता जाखड़, कनला सदन, गली क्र. 1 शिक्षक नगर कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) पिन 491995	UR	शासकीय आचार्य पंथ श्री गंधमुनि नाम साहब स्नातकोत्तर महाविद्यालय कवर्धा, जिला-कबीरधाम
03.	04	सुश्री सपना मिश्रा, 107/50 सी जवाहर नगर, थाना नजीराबाद, कानपुर, (उप्र) पिन 208012	UR	शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर जिला-कोरिया
04.	05	श्री गुलाब चन्द्र ग्राम अटंग, अस्पताल पारा, पोस्ट अछोटी, थाना कुरुद, जिला धमतरी छ.ग.)	OBC	शासकीय दन्तेश्वरी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर जिला-बस्तर
05.	06	श्री विरेन्द्र कुमार, साई फैंन्सी स्टोर्स के पास प्रीतम नगर बडा अषाक नगर, गुडियारी, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492001	OBC	शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय घिरमिरी, जिला-कोरिया

निरन्तर -2-


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

Scanned with CamScanner

2/ उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा:-
 प्रथम वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
 द्वितीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
 तृतीय वर्ष - पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत
 परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे।
 2. अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जाएगा। मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 3. पदभार ग्रहण करते समय सुसंगत शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्राचार्य के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति जमा कराना होगा।
 4. शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
 5. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट) मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
 6. अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 एवं विभागीय सेवा भरती नियम के अंतर्गत शासित होगी।
 7. अभ्यर्थी को राज्य शासन द्वारा 01 नवम्बर, 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
 8. परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी।
 9. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
 10. आदेश में कोई टंकण त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी ही मान्य की जावेगी।
 11. अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये, तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- 3/ उपर्युक्त नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेख अनुसार आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में प्रचलित WP(S) 3606/2021, श्री उमेश चंद्र देशमुख विरुद्ध छ.ग. लोक सेवा आयोग एवं अन्य

निरन्तर --11--


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
 Govt. College Pussore
 District- Raigarh (C.G.)

//11//

WP(S) 3616/2021 श्री जयंत कुमार रजवाडे एवं 14 अन्य विरुद्ध छ.ग. शारान एवं 2 अन्य
WP(S) 3714/2021 हेमलाल चंदाकर विरुद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य WP(S) 3722/2021 आनंद
लकडा विरुद्ध छ.ग. शासन एवं 2 अन्य WP(S) 4281/2021 अगिषेक सिंह बदेल विरुद्ध छ.ग.
शासन एवं पी.एच. कैंडिडेट बॉटनी WP(S) 3572/2021 कोमल नंदनवार विरुद्ध छ.ग. शारान
एवं अन्य में समय समय पर पारित अंतरिम आदेश के अनुसार कोई भी नियुक्ति आदेश उक्त
याचिका में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उपर्युक्त याचिकाओं के अलावा सहायक
प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के संबंध में एवं वनस्पति शास्त्र विषय के संबंध में यदि कोई
याचिका होगी, तो उक्त नियुक्ति उक्त याचिका में होने वाले निर्णय के अधीन होगी।
4/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया
है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छ0ग0 शारान, उच्च शिक्षा विभाग


पृ. क्रमांक एफ 1-36/2021/38-1.

नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24/03/2022

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री छत्तीसगढ़, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
02. महालेखाकार, रायपुर, छत्तीसगढ़
03. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 1085/01/चयन/2020/11, दिनांक 20.07.2021 के संदर्भ में
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग.
05. समस्त संगणायुक्त, (छ.ग.),
06. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
07. संबंधित कलेक्टर, (छ.ग.),
08. क्षेत्रीय अपर संचालक, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/सरगुजा/बस्तर/ (छ.ग.),
09. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
10. जिला कोषालय अधिकारी, रायपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरघाम-कवर्धा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर, जशपुर, सूरजपुर, कोरिया, बलरामपुर, कोरबा, रायगढ़, दुर्ग, सरगुजा (छ.ग.)

निरस्तार -12-


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

//12//

11. संबंधित समस्त प्राचार्य
आदेशानुसार कृपया संबंधित को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व सुरंगत शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अन्य रांगत प्रमाण पत्र/अनापत्ति आदि की मूल प्रतियों का परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें। उक्त सभी दस्तावेजों की अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित प्रति अगिलेख हेतु रखे,
12. संबंधित अभ्यर्थी
13. आदेश फोल्डर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Bussore
District- Raigarh (C.G.)


अवर प्रिचिव

छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

(48)

उत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

रायपुर, दिनांक 21.3.2001

// आदेश //

क्रमांक 310/531/उच्च शिक्षा/2001 :: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निम्नांकित उम्मीदवारों को दो वर्ष की परीवीक्षा पर सहायक प्राध्यापक- अंग्रेजी के पद पर वेतनमान रुपये 8000-275-13500 में उनके नाम के समझ दायि गये महाविद्यालय में अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

क्र०	लोक सेवा आ. का चयन क्र०	नाम तथा वर्तमान पता	महाविद्यालय का नाम जहां पदस्थ किया जाता है.
1.	2.	3.	4.
1/	30 30	श्री मनीराम बंजारे द्वारा श्री मोतीलाल कुर्रे, तालापारा, बिलासपुर	शासकीय बालक महाविद्यालय, पेन्द्रा, जिला-बिलासपुर में स.प्रा. के रिक्त पद पर
2/	46	कु० नीता शांडिल्य राजा रघुराज सिंह स्टेडियम के पीछे इमलीपार, बिलासपुर	शासकीय महाविद्यालय, मस्तूरी, जिला-बिलासपुर में स.प्रा. के रिक्त पद पर
3/	58	श्री अबिनाश सिंह पी.एम.टी. बालक छात्रावास, पेंशन बाड़ा, रायपुर	शासकीय महाविद्यालय, आरंग, जिला-रायपुर, में स.प्रा. के रिक्त पद पर
4/	32	श्री पतरस किन्डो द्वारा सि.पुष्पा उर्लुलाइन उ.मा. विद्यालय, पतरापारा, धर्मजगढ़, रायगढ़ ।	शासकीय कन्या महाविद्यालय, रायगढ़ में स.प्रा. के रिक्त पद पर
5/	25	श्री आनन्द कुमार मिंज पी.एम.टी. बालक छात्रा-वास, पेंशन बाड़ा, रायपुर	शासकीय महाविद्यालय, भाटापारा, जिला-रायपुर में स.प्रा. के रिक्त पद पर
6/	22	शुश्री मधुलिका सिंह एम.आई.जी.-152, पदनाभपुर हा.बोर्ड दुर्ग,	शासकीय महाविद्यालय, पाटन, जिला-दुर्ग में स.प्रा. के रिक्त पद पर

निरन्तर....2/

शुक्ति

30/3/2001

30.3.2001

30-3-2001

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)


2/ नियुक्त उम्मीदवारों को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।

3/ नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के आरक्षण संबंधी नियमों के प्रावधानों का ध्यान रखा गया है। उक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करना होगी। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिये जायेंगे।

5/ नियुक्त किये गये उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि 30 जून, 2001 के पश्चात् ही पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जावेगा। शासकीय/अशासकीय/विभागों/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियुक्ता का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


21.3.2001
बी.के. सिंघ
सयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नि०
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

पृ० क्र० 817 /531/उ. शि. /2001

रायपुर दिनांक 21.3.2001

प्रतिलिपि:-

१।१ मा० मंत्री जी, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के निज सचिव, रायपुर।

१।२ मा० राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के निज सचिव, रायपुर।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussora
District- Raigarh (C.G.)

निरन्तर....3/

- 3४ सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर, मध्यप्रदेश ।
- ४ महालेखाकार छत्तीसगढ़ सेल, झांसी रोड, ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
- 5४ अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर ।
- 6४ संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ ~~रायपुर~~ विलासपुर ..
- 7४ मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय ~~रायपुर~~ रामगढ़ ..
- ✓ 8४ संबंधित प्राचार्य, शासकीय ^{कन्या} स्नातकोत्तर/स्नातक महावि० ~~रायपुर~~ रामगढ़ ..
- 9४ संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
- 10४ संबंधित उम्मीदवार ।
- 11४ गार्ड फाइल / अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर ।

को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित । कृपया कार्यभार ग्रहण करने की सूचना से इस विभाग को भी अवगत कराया जावे ।



संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

आवत/ 25


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District - Raigarh (C.C.)

(47)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन,
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय


मु. लि.
RSP
9.4.2001

:: संशोधित आदेश ::

रायपुर, दिनांक 28/3/2001

क्रमांक 922/531/उ.शि./2001 : विभागीय आदेश क्रमांक 816/531/उ.शि./2001, दिनांक 21.3.2001 द्वारा जारी आदेश के कालम नं.-2 में त्रुटिबश "लोक सेवा आयोग के चयन क्रमांक" के स्थान पर "रोल नम्बर" अंकित हो गया है। अतः निम्नानुसार संशोधन पदा जावे :-


क्रमांक	लो.से.आ.का चयन क्रमांक	नाम तथा वर्तमान पता	महाविद्यालय का नाम जहां पदस्थ किया जाता है।
1	2	3	4
1/	4	श्री मनीराम बंजारे, द्वारा श्री मोतीलाल कुर्रे, तालापारा, बिलासपुर।	शासकीय बालक महाविद्यालय, पेड़ड़ा, जिला- बिलासपुर में तहायक प्रा. के रिक्त पद पर।
2/	7	कु. नीता शांडिल्य, राजा रघुराज सिंह स्टेडियम के पीछे इमलीपारा, बिलासपुर।	शासकीय महाविद्यालय, मस्तूरी, जिला- बिलासपुर में तहायक प्राध्यापक के रिक्त पद पर।
3/	15	श्री अबिनाश सिंह, पी.एम.टी. बालक छात्रावास, पेन्शन बाड़ा, रायपुर।	शासकीय महाविद्यालय, आरंग, जिला- रायपुर में तहायक प्रा. के रिक्त पद पर।
4/	16	श्री पतरत किन्डो, द्वारा सि. पुष्पा, उर्तुलाइन, उ.मा. बि. पतरापारा, धर्मजयगढ़, रायगढ़।	शासकीय कन्या महाविद्यालय, रायगढ़ में तहायक प्राध्यापक के रिक्त पद पर।
5/	19	श्री आनन्द कुमार मिंज, पी.एम.टी. बालक छात्रावास, पेन्शन बाड़ा, रायपुर।	शासकीय महाविद्यालय, माटापारा जिला- रायपुर में तहायक प्रा. के रिक्त पद पर।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

निरंतर..... 2/-

1	2	3	4
6/	21	शुश्री मधुलिका तिंह, रम. आई. जी. -152, पदनामपुर, हा. बोर्ड, दुर्ग ।	शासकीय महाविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग में सहायक प्राध्या. के रिक्त पद पर ।

छत्तीसगढ़ के राजस्वपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


॥ बी. के. सिंघ ॥

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन,
बिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

रा


रायपुर, दिनांक 28/3/2001.

शुक्र 923 /531/उ. शि./2001,

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रायपुर ।
2. निज सचिव, मान. राजस्वमंत्री जी, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, रायपुर ।
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर, मध्यप्रदेश ।
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ तेल, झाली रोड़ ग्वालियर, मध्यप्रदेश ।
5. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर ।
6. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला चिकित्सालय
8. संबंधित प्राचार्य, शासकीय स्नातकोत्तर/ स्नातक महाविद्यालय रा.प.रा.
9. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
10. संबंधित उम्मीदवार ।
11. गार्ड फाईल ।

नोट:- कंडिका 5 के अर्थात् 30 जून,
2001 के पश्चात् तथा 15 जुलाई,
2001 तक कार्यकार मूहव करना
अनिवार्य है ।



संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन,
बिज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 01.02.2013

क्रमांक 31/आउशि/अराज.स्था./2013/ :: दिनांक 13.1.2013 को आयोजित लिखित परीक्षा उपरान्त गुणानुक्रम के आधार पर तैयार की गई चयन सूची अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को प्रयोगशाला तकनीशियन पद पर वेतनमान रु. 5200-20200 ग्रेड पे रु. 2400 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्न शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण के दिनांक से अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए निम्न सारणी अनुसार उनके नाम के समक्ष कॉलम 5 में दर्शाये गये शासकीय महाविद्यालय में पदस्थ किया जाता है:-

अनारक्षित (सामान्य क्षेत्र)

स. क्र.	रोल नं.	नाम, पिता का नाम व पता	वर्ग	शासकीय महाविद्यालय का नाम तथा जिला
1	2	3	4	5
1	0611070113	पीयूष कुमार शर्मा श्री कोमल सिंह शर्मा 'गोपीमा' मोहित ट्रेडर्स के पीछे, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग (छ.ग.) पिन - 491001	अनारक्षित	शास. नवीन महा., जामगांव (आर), जिला-दुर्ग (छ.ग.)
2	1011010243	हनुमान दास बंजारे श्री मालिक राम बंजारे ग्राम-खैरा, पो. दशरंगपुर, तह.-कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) 491336	अनारक्षित	आचार्य पंथ श्री गृध मुनि नाम साहब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
3	0411040020	जागृति सिंह ठाकुर श्री घनश्याम सिंह ठाकुर मुकाम बंजारी, पो. जेवरा, तह. सारंगढ़, जिला-सांयगढ़ (छ.ग.)	अनारक्षित (महिला)	शासकीय जयदेव सतपथी महाविद्यालय, बसना, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)
4	0811060020	छाया नंदा श्री जयप्रकाश नंदा ग्राम-पाकुरभाट, पो. जमरुवा, तह. व जिला-बालोद (छ.ग.) पिन-491226	अनारक्षित (महिला)	शास. नवीन महा., अरमरीकला, जिला-बालोद (छ.ग.)
5	1011010143	रोशन साहू श्री मोहन लाल साहू जुगल किशोर शास्त्री महाराज के घर के पास, रामनगर वार्ड नं.-1, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) पिन-491995	अनारक्षित	शासकीय महाविद्यालय, बोडला, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
6	0411050015	नीलमणि साहू श्री घनश्याम साहू ग्राम व पोस्ट-कुधरी, तह.-सारंगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिन नं. 496445	अनारक्षित	शासकीय खेमराज लक्ष्मीचंद कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बागबंहरा, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

(10)

(2)

रोल नं.	नाम, पिता का नाम व पता	वर्ग	शासकीय महाविद्यालय का नाम तथा जिला
2	3	4	5
0711030049	मणिकुमार श्री खोरबाहारा वार्ड क्रमांक-15, रामनगर, नगर पंचायत परपोड़ी, पो. परपोड़ी, तह. साजा, जिला-बेमतरा (छ.ग.) पिन-491331	अ.पि.व.	इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय, पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
4 0811060262	मेघनाथ श्री धनसिंह देवांगन ग्राम व पो. -अरमरीकला, तह. गुरुर, जिला-बालोद (छ.ग.) पिन-491222	अ.पि.व.	शास. नवीन महा., अरमरीकला, जिला-बालोद (छ.ग.)

नुसूचित जाति (सामान्य क्षेत्र)

स. क्र.	रोल नं.	नाम, पिता का नाम व पता	वर्ग	शासकीय महाविद्यालय का नाम तथा जिला
1	2	3	4	5
1	0711040002	गणेश्वर जांगड़े श्री बाबदास जांगड़े द्वारा-एन.आर. जांगड़े, म.नं. 177, नवीन स्कूल के पास, सिविल लाईन, बलौदावाजार (छ.ग.)	अ.जा.	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमतरा, जिला-बेमतरा (छ.ग.)
2	0411020069	अजय कुमार चौहान श्री टी.आर. चौहान मु.पो. कालम, ढाया तमनार, तह. घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) पिन-496107	अ.जा.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बलौदा, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)
3	1011040037	सुनील कुमार श्री तिलक राम बंजारा टी.वी. टॉवर के सामने, वार्ड नं.-10, बैरागपारा, पण्डरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	अ.जा.	आचार्य पंथ श्री गृध्र मुनि नाम साहब शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
4	1011010029	उदय सिंह बर्मन श्री दर्शन प्रसाद एम. क्यू.-260, ऊर्जा नगर, गेवरा परियोजना, तह. दीपिका, जिला-कोरबा (छ.ग.)	अ.जा.	शासकीय महाविद्यालय, गुरुर, जिला-बालोद (छ.ग.)
5	0711040059	लीलागर सिंह श्री रूपानंद गेन्डरे द्वारा उभय साहू, बी.टी.आई. कालोनी के सामने, वार्ड नं.-8, जिला-बेमतरा (छ.ग.)	अ.जा.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, मगरलोड, जिला-धमतरी (छ.ग.)
6	0811050146	सविता श्री धनुलाल टंडन ग्राम व पो. कंवर, तह. गुरुर, जिला-बालोद (छ.ग.) पिन-491227	अ.जा. (महिला)	शास. नवीन महा., पण्डातराई, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA


Govt. College, Pilsboro
District, C.G.

कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन उच्च स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित हों।

- ब. निःशक्तजन श्रेणी के विरुद्ध चयनित उम्मीदवारों को निःशक्तजन संबंधी प्रमाण-पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर ही मान्य किया जावेगा।
- स. बस्तर तथा सरगुजा संभाग में स्थापित जिलों (यथा बस्तर, कोण्डागांव, दन्तेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर एवं कोरिया) के शासकीय महाविद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को जिले के स्थानीय मूल निवासी तथा अन्य शासकीय महाविद्यालयों (बस्तर एवं सरगुजा संभाग को छोड़कर) में चयनित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


- (7) यह नियुक्ति अनंतिम (Provisional) है तथा जाति/जनजाति/मूल निवास प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनु.जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा मूल निवासी जैसा भी मामला हो, से संबंधित होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी इसके अतिरिक्त संबंधित की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
- (8) उपर्युक्त नियुक्तियों अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है। यदि उम्मीदवारों ने अभी तक जो जानकारी दी है, वह असत्य पायी जाती है तो भी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है।
- (9) उपर्युक्त पदाभिलाषियों को आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (10) यह नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 द्वारा शासित होंगे।
- (11) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में अनु.जाति एवं अनु.जन.जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है, एवं रोस्टर संधारित किया गया है।


(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।)


अपर संचालक,
उच्च शिक्षा/संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)
रायपुर, दिनांक 01.02.2013

पृ.क्र. 32/आउशि/अराज.स्था./2013/
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा
3. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय (छ.ग.) -को इस निर्देश के साथ कि नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त मूल अंकसूची एवं अन्य सभी प्रमाण-पत्र की सूक्ष्म जांच करें। किसी भी प्रकार की विसंगति या अयोग्यता पाये जाने पर कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें तथा उसकी सूचना तत्काल उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर को दें।
4. संबंधित कोषालय अधिकारी।
5. श्री निरंजन चंद्रासहाय पता को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. संबंधित की व्यक्तिगत नस्ती में रखने हेतु।
..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)


अपर संचालक,
उच्च शिक्षा/संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)

बस्तर तथा सरगुजा संभाग में स्थापित जिलों (यथा बस्तर, कोण्डागांव, दन्तेवांडा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर एवं कोरिया) के शासकीय महाविद्यालयों में चयनित अभ्यर्थियों को जिले के स्थानीय मूल निवासी तथा अन्य शासकीय महाविद्यालयों (बस्तर एवं सरगुजा संभाग को छोड़कर) में चयनित अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (7) यह नियुक्ति अंतिम (Provisional) है तथा जाति/जनजाति/मूल निवास प्रमाण पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्यक्षीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनु. जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा मूल निवासी जैसा भी मामला हो, से संबंधित होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताए कार्यवाही की जावेगी इसके अतिरिक्त संबंधित की सेवायें समाप्त कर दीजायेगी।
- (8) उपर्युक्त नियुक्तियां अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है। यदि उम्मीदवारों ने अभी तक जो जानकारी दी है। वह असत्य पायी जाती है तो भी नियुक्ति तत्काल प्रभावसे समाप्त की जासकेगी।
- (9) उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- (10) यह नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 द्वारा शासित होंगे।
- (11) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में अनु. जाति एवं अनु. जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है एवं रोस्टर संघारित किया गया है।

(श्रीमती एस. एम. तिमोथी)

प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय मस्तूरी
मस्तूरी, जिला-बिलासपुर छ.ग.

पृ.क./ 1278/ 2013

मस्तूरी दिनांक 02/02/2013

- 1 आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर।
- 2 क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर छ.ग.
- 3 संबंधित कोषालय अधिकारी।
- 4 श्री मुकेश कुमार नायक/उग्रसेन नायक ग्राम पोस्ट कटंग पाली "ब" व्हाया बरमकेला जिला रायगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 5 संबंधित की व्यक्तिगत नस्ती में रखने हेतु। स्थापना शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

(श्रीमती एस. एम. तिमोथी)

प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय मस्तूरी
मस्तूरी, जिला-बिलासपुर छ.ग.
जिला- बिलासपुर छ.ग.

(7) यह नियुक्ति अनंतिम (प्रोविजनल) है तथा जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मामला हो, से सम्बन्धित होने का दावा झूठा है तो बिना कोई कारण बताये तथा झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये भा.द.सं. के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त संबंधित की सेवायें समाप्त कर दी जावेंगी।

(8) उपर्युक्त नियुक्तियां अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है। यदि उम्मीदवारी में अभी तक जो जानकारी दी है, वह असत्य पायी जाती है तो भी उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।

(9) उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जावे।

(10) यह नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होंगे।

(डॉ० एस.एल. सिन्हा)
Principal
Govt. Navin College
Pussore, Dist. Raigarh (C.G.)

पृ.क्र./ 19 / अराज.स्था. / 2021
प्रतिलिपि:-

पुरसौर, दिनांक: 14/6/2021

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, ब्लॉक सी-30, अटल नगर, रायपुर छ.ग.।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, ई.राघवेन्द्र राव शासकीय विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर, छ.ग.।
3. प्राचार्य(अग्रणी), कि.शास.कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़, छत्तीसगढ़।
4. कोषालय अधिकारी रायगढ़, जिला- रायगढ़ छत्तीसगढ़।
5. कु. बबीता यादव, पुत्री स्व. श्रीमती चित्रलेख यादव- भृत्य, फूजझरिया पारा, वार्ड क्रमांक 12, सारंगढ़ जिला- रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. स्थापना/लेखा शाखा शासकीय महाविद्यालय पुरसौर, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)।
7. संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत नस्ती हेतु।

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

(डॉ० एस.एल. सिन्हा)
Principal
Govt. Navin College
Pussore, Dist. Raigarh (C.G.)


क्र. - 818/स.सी./2011

//नियुक्ति आदेश//

दिनांक... 12/12/2011

क्रमांक /2011/लिखित परीक्षा के बाद बने चयन सूची के आधार पर श्री/श्रीमती/कु. मनोज कुमार प्रधान पता केली विसू कालोनी को सहायक प्रिन्सिपल पर वेतनमान रु. 5200/- 20200/- प्रिन्सिपल पर रु. 1900/- में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक निम्न शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण के दिनांक से नियुक्ति किया जाता है:-

- (1.) यह नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा के आधार पर होगी, दो वर्ष में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही परीक्षा अवधि समाप्त की जा सकेगी।
- (2.) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, एवं अस्थायी नियुक्ति के दौरान उनके अस्थायी सेवाएं किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस दे कर या उसके ऐवज में एक माह का वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह समझा जायेगा, की उसने अनुपस्थिति की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है तथा उसे एक माह या नोटिस की अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतने अवधि का वेतन तथा भत्ते का भुगतान करना होगा।
- (3.) उनके द्वारा एक माह नोटिस दिये बिना उसके ऐवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त दो के अंतर्गत देय रकम उस व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- (4.) नवनियुक्त उक्त कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग की अधिसूचना क्रं. 24/सी.-2742/वित्त/नियम/चार/2006, दिनांक 27.01.2006 तथा वित्त विभाग के ज्ञाप क्रं. 31/सी.-2742/वित्त/नियम/चार/2006, दिनांक 1 फरवरी 2006 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1.11.2004 से लागू "अंशदायी पेंशन योजना" लागू होगी।
- (5.) आपकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन/मेडिकल बोर्ड से उपयुक्तता का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। चरित्र सत्यापन में अथवा मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोग पाये जाने पर सेवाएं स्वमेव समाप्त मानो जावेंगी।
- (6.) अ. कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे, अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।
ब. आरक्षित वर्ग (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी ती गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा, तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- (7.) यह नियुक्ति अर्थात् (Provisional) है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र तत्तित प्रावधान से सत्यापित किये जाने के अध्वधीन है और सत्यापन करने पर यदि यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनु.जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसा भी मान्यता


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pissore
District- Raigarh (C.G.)

- हो, से संबंधित होने का दावा होता है तो बिना कोई कारण बताए तथा जूरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी इसके अतिरिक्त संबंधित की जवाबे समाप्त कर दी जायेगी।
- (8.) उपर्युक्त नियुक्तियों अन्य आवश्यक कार्यवाही की पूर्ति की अपेक्षा में की जाती है। यदि उम्मीदवारों ने अभी तक जो जानकारी दी है, वह असत्य पायी जाती है तो भी उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
- (9.) उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- (10.) यह नियुक्ति छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 द्वारा शासित होंगे।
- (11.) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पदों के संबंध में अनु.जाति एवं अनु.जन.जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है, एवं रोस्टर संधारित किया गया है।

(PRINCIPAL-)

Government P. H. Dhanania
राजकीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय
Raigarh (Chhattisgarh)

पृ.क्र. 89/स्था/2011,

दिनांक 12/12/11

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
 2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा - रायपुर एवं वाणिज्य महाविद्यालय जयपुर-गढ़ा बिलासपुर
 3. संबंधित कोषालय अधिकारी रायपुर,
 4. श्री मनीष कुमार प्रधान पता - केली विहार कालोनी रस्ता न 43/2400 रायपुर
 5. संबंधित की व्यक्तिगत नस्ती में रखने हेतु।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

PRINCIPAL
WISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

PRINCIPAL

Government P. H. Dhanania
राजकीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय
Raigarh (Chhattisgarh)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय पुसौर जिला-रायगढ़(छ.ग.)

ईमेल : ngcb007@gmail.com

दूरभाष:- 07768-265900

क्रमांक/63/.../अतिथि व्या0/2017-18

पुसौर,दिनांक-12/08/2017

प्रति,


अमित कुमार शोच
आम-को. परिभाष
तह- पुसौर जि. रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- सत्र 2017-18 महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता का चयन।

-----00-----

1. आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर नवीन शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय:- वनस्पति शा.स. के पद पर चयनित किया गया है। अतः आप आदेश जारी होने के 05 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ अपनी उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर चयन आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
2. यह चयन आदेश आगामी आदेश तक के लिए है। लेकिन महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित होने पर आपकी चयन की अवधि स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. कार्यरत अवधि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रू.- 200/- (अक्षरी दो सौ) जो प्रतिदिन रू. 800/- (अक्षरी आठ सौ) तथा प्रति माह रू.- 20800/- (अक्षरी बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन होगा।
4. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवा भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानित बर्ताव के हकदार होंगे।
5. अतिथि व्याख्याता को कार्य पर उपस्थित होने के समय महाविद्यालय में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।
6. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद के स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति/प्राचार्य का होगा।


PRINCIPAL
VISHNU NAVEEN GUPTA
Pussore Dist. Raigarh (C.G.)
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)


(डॉ० एसएसएल० साइनवाने)
Principal
Govt. Naveen College
Pussore, Distt.-Raigarh (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

Email: newgovtcollegepusaur@gmail.com

क्रमांक/ 63 /अतिथि व्या./2017-18

पुसौर दिनांक 03/08/2017


प्रति,

कृ. स्वप्नी-पटेल
D/o श्री. धनराम पटेल
मु.पो. धनशर
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- सत्र 2017-18 महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता का चयन।

-----00-----

1. आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय के पद पर चयनित किया गया है। अतः आप आदेश जारी होने के 05 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ अपनी उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर चयन आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
2. यह चयन आदेश आगामी आदेश तक के लिए है। लेकिन महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित होने पर आपकी चयन की अवधि स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. कार्यरत अवधि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रु.200/- (अक्षर-दो सौ मात्र) जो प्रतिदिन रु.800/- (अक्षर-आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रु.20800/- (अक्षर-बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा।
4. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवा भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानित बर्ताव के हकदार होंगे।
5. अतिथि व्याख्याता को कार्य पर उपस्थित होने के समय महाविद्यालय में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।
6. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद के स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति/प्राचार्य का होगा।


PRINCIPAL
Govt. Naveen College
Pussore, Dist. Raigarh (C.G.)
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय पुसौर जिला-रायगढ़(छ.ग.)

ईमेल : ngcb007@gmail.com

दूरभाष:- 07768-265900

क्रमांक / 63.. / अतिथि व्या० / 2017-18

पुसौर, दिनांक 08/08/2017

प्रति,

प्रति,

~~डॉ. गरिमतिवारी~~
~~w/o अमित तिवारी~~
~~म.सं. 02 राजाचंद पुर~~
~~अतरस रोड रायगढ़ (छ.ग.)~~

डॉ. सावित्री अग्रवाल
w/o नवल किशोर अग्रवाल
LIC कार्यालय, सती बुई
रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- सत्र 2017-18 महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता का चयन।

00

- आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर नवीन शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय:- राजनीति विज्ञान के पद पर चयनित किया गया है। अतः आप आदेश जारी होने के 05 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ अपनी उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर चयन आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
- यह चयन आदेश आगामी आदेश तक के लिए है। लेकिन महाविद्यालय में लोक संव आयोग से चयनित अथवा विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित होने पर आपकी चयन की अवधि स्वमेव समाप्त मान जावेगी।
- कार्यरत अवधि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रु.- 200/- (अक्षरी-दो सौ) जो प्रतिदिन रु. 800/- (अक्षरी आठ सौ) तथा प्रति माह रु.- 20800/- (अक्षरी बीस हजार अ सौ) की सीलिंग के अधीन होगा।
- कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवा भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बने और न ही वे अधिमानित बर्ताव के हकदार होंगे।
- अतिथि व्याख्याता को कार्य पर उपस्थित होने के समय महाविद्यालय में इस आशय शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रव विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशास सेवा में कार्यरत नहीं है।
- चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद के स्थिति में अंतिम निर्णय समिति/प्राचार्य का होगा।

Principal
Govt. Naveen College
Bissore, Dist. Raigarh (C.G.)
Govt. College Pussote
Raigarh (C.G.)

(डॉ० एस०एल० लखनन)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

Email: newgovtcollegepusaur@gmail.com

क्रमांक/ १० /अतिथि व्या./2018-19
प्रति, ३

पुसौर दिनांक 20 /08/2018

.....
अंतिम प्रधान
.....
D/O महादेव प्रधान
.....
मुपे सोकरा, सरिया
.....
जिला रायगढ़

विषय:- सत्र 2018-19 महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता का चयन।

-----00-----

1. आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय ~~प्रति~~ ~~शिक्षण~~ के पद पर चयनित किया गया है। अतः आप आदेश जारी होने के 05 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर चयन आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
2. यह चयन आदेश आगामी आदेश तक के लिए है। लेकिन महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित होने पर आपकी चयन की अवधि स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. कार्यरत अवधि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रु.200/- (अक्षर-दो सौ मात्र) जो प्रतिदिन रु.800/- (अक्षर-आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रु.20800/- (अक्षर-बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा।
4. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवा भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानित बर्ताव के हकदार होंगे।
5. अतिथि व्याख्याता को कार्य पर उपस्थित होने के समय महाविद्यालय में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।
6. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद के स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति/प्राचार्य का होगा।


Principal
V.S. Govt. Naveen College
Pussore, Dist. Raigarh (C.G.)
Govt. College Pussore
District Raigarh (C.G.)


Principal
शासकीय महाविद्यालय पुसौर
Pussore, Dist. Raigarh (C.G.)
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

Email: newgovtcollegepusaur@gmail.com

क्रमांक/ १०/अतिथि व्या./2018-19

पुसौर दिनांक 20/08/2018

प्रति,

डॉ. स्वावित्री शर्मा
10/0/अतिथि व्या. किशोर शर्मा
L.I.C. कार्यालय, स्त्रीगुड़ी रोड
रायगढ़

विषय:- सत्र 2018-19 महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता का चयन।

-----00-----

1. आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय राजनीतिशास्त्र के पद पर चयनित किया गया है। अतः आप आदेश जारी होने के 05 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ अपनी उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर चयन आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
2. यह चयन आदेश आगामी आदेश तक के लिए है। लेकिन महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित होने पर आपकी चयन की अवधि स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. कार्यरत अवधि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रु.200/- (अक्षर-दो सौ मात्र) जो प्रतिदिन रु.800/- (अक्षर-आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रु.20800/- (अक्षर-बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा।
4. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवा भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानित बर्ताव के हकदार होंगे।
5. अतिथि व्याख्याता को कार्य पर उपस्थित होने के समय महाविद्यालय में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।
6. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद के स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति/प्राचार्य का होगा।


PRINCIPAL
Govt. Naveen College
Pusore, Dist. Raigarh (C.G.)
Govt. College Pusore
District- Raigarh (C.G.)


प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय पुसौर
Govt. Naveen College
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
Pusore, Dist. Raigarh (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

Email: newgovtcollegepusaur@gmail.com

क्रमांक/ 90 /अतिथि व्या./2018-19

पुसौर दिनांक 20 / 8 / 2018

प्रति,

शरिमा श्रीमती
D/O विनोदश्री
शुजरी भवन चौक रायगढ़ (छ.ग.)
पिन- 496100

विषय:- सत्र 2018-19 महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता का चयन।

-----00-----

1. आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय वाणिज्य के पद पर चयनित किया गया है। अतः आप आदेश जारी होने के 05 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ अपनी उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाये जाने पर चयन आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
2. यह चयन आदेश आगामी आदेश तक के लिए है। लेकिन महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित होने पर आपकी चयन की अवधि स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. कार्यरत अवधि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रु.200/- (अक्षर-दो सौ मात्र) जो प्रतिदिन रु.800/- (अक्षर-आठ सौ मात्र) तथा प्रतिमाह रु.20800/- (अक्षर-बीस हजार आठ सौ मात्र) की सीलिंग के अधीन होगा।
4. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवा भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानित बर्ताव के हकदार होंगे।
5. अतिथि व्याख्याता को कार्य पर उपस्थित होने के समय महाविद्यालय में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है।
6. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद के स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति/प्राचार्य का होगा।


PRINCIPAL
Govt. College Pusaur
District- Raigarh (C.G.)


Principal
शासकीय महाविद्यालय पुसौर
Jalpa District- Raigarh (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

ईमेल आईडी-

क्रमांक/45/3/अतिथि व्या0/2019-20

फूरगाप - 07762 262885

पुसौर, दिनांक-09/5/2019

प्रति,

शुभादी गणितज्ञोशी
Sto श्री विनोद जोशी
सुजीभवन रायगढ़
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- सत्र 2019-20 महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रिक्त पद के विरुद्ध
अध्यापन व्यवस्था बाबत।

-----00-----

1. आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय:- साहित्य के पद पर अध्यापन व्यवस्था हेतु चयनित किया गया है। अतः आप आदेश जारी होने के 05 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ अपनी उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर अध्यापन व्यवस्था चयन आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
2. यह चयन कार्यालय आउशि के आदेश क्रमांक 1146/243/आउशि/अति0व्या0/2019 नया रायपुर, दिनांक 31.08.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में आगामी आदेश तक के लिए है। लेकिन महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित होने पर आपकी चयन की अवधि स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. कार्यरत अवधि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रु.- 200/- (अक्षरी दो सौ) जो प्रतिदिन रु. 800/- (अक्षरी आठ सौ) तथा प्रति माह रु.- 20800/- (अक्षरी बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन होगा।
4. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवा भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानित बर्ताव के हकदार होंगे।
5. अतिथि व्याख्याता को कार्य पर उपस्थित होने के समय महाविद्यालय में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।
6. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद के स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति/प्राचार्य का होगा।

(डॉ० एस० एल० सोमवाने)
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

8/4

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Jussore, Dist. Raigarh
Govt. College Pusore
District- Raigarh (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

ईमेल आईडी:- newsgovtcollegep_psur@gmail.com

दूरभाष:- 07762-262885

क्रमांक / 45/2 / अतिथि व्या0 / 2019-20

पुसौर, दिनांक- 05/09/2019

प्रति,

शुभारी अतिथि प्रधान
B/O श्री महोदय प्रधान
शु. सोकरा लह. का. मेल
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- सत्र 2019-20 महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रिक्त पद के विरुद्ध अध्यापन व्यवस्था बाबत।

—00—

1. आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय:- ~~.....~~ के पद पर अध्यापन व्यवस्था हेतु चयनित किया गया है। अतः आप आदेश जारी होने के 05 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ अपनी उपस्थिति दें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर अध्यापन व्यवस्था चयन आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
2. यह चयन कार्यालय आउशि के आदेश क्रमांक 1146/243/आउशि/अति0व्या0/2019 नया रायपुर, दिनांक 31.08.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में आगामी आदेश तक के लिए है। लेकिन महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित होने पर आपकी चयन की अवधि स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. कार्यरत अवधि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रु.- 200/- (अक्षरी दो सौ) जो प्रतिदिन रु. 800/- (अक्षरी आठ सौ) तथा प्रति माह रु.- 20800/- (अक्षरी बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन होगा।
4. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवा भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानित बर्ताव के हकदार होंगे।
5. अतिथि व्याख्याता को कार्य पर उपस्थित होने के समय महाविद्यालय में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।
6. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद के स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति/प्राचार्य का होगा।

O/C Anand Pradhan
11/09/2019

PRINCIPAL
VISHWAKARMA
Govt. College Pusore
District- Raigarh (C.G.)

(डॉ० एस०एल० सोमवाने)
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

लय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आईडी:-

मांक/45/1/अतिथि व्या0/2019-20

दूरभाष:- 07762-262885

पुसौर, दिनांक 09/9/2019

प्रति,

डॉ. सावित्री कुजवाल
जी.पी. नवल मिश्रा कुजवाल
को.कॉ.उ.टी.डी.जी. रायगढ़
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:- सत्र 2019-20 महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रिक्त पद के विरुद्ध
अध्यापन व्यवस्था बाबत।

—00—

1. आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर शासकीय महाविद्यालय पुसौर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) में अतिथि व्याख्याता विषय:- राजनीतिशास्त्र के पद पर अध्यापन व्यवस्था हेतु चयनित किया गया है। अतः आप आदेश जारी होने के 05 दिवस के अंदर महाविद्यालय में समस्त मूल प्रमाण-पत्रों के साथ अपनी उपस्थिति देवें। मूल प्रमाण-पत्र के जांच में आपके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी गलत होने पर एवं अपात्र पाए जाने पर अध्यापन व्यवस्था चयन आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
2. यह चयन कार्यालय आउशि के आदेश क्रमांक 1146/243/आउशि/अति0व्या0/2019 नया रायपुर, दिनांक 31.08.2019 एवं माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में आगामी आदेश तक के लिए है। लेकिन महाविद्यालय में लोक सेवा आयोग से चयनित अथवा विभाग द्वारा संविदा नियुक्ति अथवा स्थानान्तरण से नियमित सहायक प्राध्यापक के उपस्थित होने पर आपकी चयन की अवधि स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
3. कार्यरत अवधि व्याख्याता को प्रति व्याख्यान रु.- 200/- (अक्षरी दो सौ) जो प्रतिदिन रु. 800/- (अक्षरी आठ सौ) तथा प्रति माह रु.- 20800/- (अक्षरी बीस हजार आठ सौ) की सीलिंग के अधीन होगा।
4. कार्यरत अतिथि व्याख्याताओं की सेवा भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानित बर्ताव के हकदार होंगे।
5. अतिथि व्याख्याता को कार्य पर उपस्थित होने के समय महाविद्यालय में इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि उसके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है।
6. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद के स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति/प्राचार्य का होगा।

(डॉ० एस०एल० सोनवाने)
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय पुसौर
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

0/4 R
9/9/19
PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pusore
District- Raigarh (C.G.)



118

DR. C.V.RAMAN UNIVERSITY, KOTA, BILASPUR (C.G.)

डॉ.सी.व्ही.रामन् विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर(छ.ग.)

Ref: CVRU/Ph.D/Conf..६५.६./2015

Kota Bilaspur, Dated:०५/०६/2015

Ph.D. NOTIFICATION

UGC [Minimum Standards & Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree Regulation, 2009]

It is notified that, after considering the reports of the examiners of the Ph.D. Thesis submitted by the following research scholar and the Viva-voce Examination report the University has accepted his/her thesis and declares him eligible for the award of the degree of **"Doctor of Philosophy" (Ph.D.)** of **Dr. C.V. Raman University**, Kota, Bilaspur (C.G.).

Name of the Research Scholar : **Saroj Kumar**

Name(s) of Research Supervisor : Dr. A.K.Mishra,
Dr. Manish Upadhyay

Subject : Chemistry

Faculty : Science

Title of Thesis : "KINETIC, THERMODYNAMIC AND
EQUILIBRIUM STUDIES OF ADSORPTION OF
HEAVY METAL IONS ON FLY ASH"

Date of Registration : 30/03/2012

Date of Successful completion of Course work : 15/06/2012

Date of RDC : 09 July 2012

Enrolment Number : CV/57311/1410


Research Centre : Dept. of Science
Dr. C.V. Raman University
Kota , Bilaspur (C.G.)

Date of Submission of Ph.D. Thesis : 01/09/2014

Date of Ph.D. Viva-voce Examination : 11 May 2015


Registrar

Dr. C.V. Raman University
Kota, Bilaspur (C.G.)


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

No. / गोप./Ph.D./2015

Bilaspur, Dated / /2015

NOTIFICATION

It is notify that the University has accepted the thesis submitted by **Rohini Arya** after receiving the report of examiners declared him/her eligible for award of **Doctor of Philosophy** of Pt. Sundarlal Sharma (open) University Chhattisgarh, Bilaspur on the date of the Viva-Voce examination held on 19/06/2015

1. Name of the Candidate : **Rohini Arya**
2. Name of Supervisor : Dr. Charu Chandra Mishra
3. Enrolment No : ART/ENG/09/12
4. Subject : English
5. Faculty : ARTS.
6. Title of the thesis : DIASPORIC DISCOURSE : A STUDY OF SELECTED INDIAN WOMEN WRITERS ABROAD & THEIR WORKS
7. Date of Registration : 16/02/2009
8. Date of Submission of thesis : 08/08/2014

BY ORDER

[Signature]
Registrar 29/6/15

Endt. No. 640/गोप./Ph.D./ 2015

Bilaspur, Dated 30/6/2015

Copy to :-

- ✓ 1. Rohini Arya Asel English Centre At - Budhi Mai Colony Darogapara Raigarh (C.G.)
2. Dr. Charu Chandra Mishra K.G. Arts & Science College Raigarh (C.G.)
3. The secretary to Honourable Kuladhipati, Rajbhawan, Raipur for information.
4. The P.S. to Kulapati PSSOU Bilaspur for information.
5. The Secretary, Higher Education, Govt. of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan Mantralaya, Naya Raipur (C.G.)
6. The Commissioner, Higher Education Directorate, Indravati Bhawan Raipur (C.G.)
7. The Secretary, Association of Indian Universities, AIU House, 16 Comrade Indrajit Gupta Marg New Delhi - 110002.
8. The Secretary, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Anusandhan Bhawan, 2 Rafi Marg N.- Delhi - 110001.
9. The Secretary, University Grant Commission (UGC), Bahadur shah Zafar Marg, New Delhi - 110002.
10. The Indian Science Abstract Section, Indian National Scientific Documentation Center, Hill Side Rode, New Delhi.
11. The Director, Distance Education Buero (DEB) University Grant Commission Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi - 110002
12. The Librarian, Pt. Sundarlal.Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur
13. The Registrar of all the statutory Universities in India.
14. The Director, Chhattisgarh Council of Science and Technology, Lokash Plaza, Bottle House, Shankar Nagar, Raipur (C.G.)
15. The Editors of all reputed News papers for publication as news item.
16. The Department of Academic Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur for information.
17. Office Copy.

[Signature]
Registrar

File N.F. - /Word/karnlesh

[Signature]
PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

[Signature]
Arya

Ref. No.: SET-2019/6307404696/ST/1150

Roll No.: 135263102



CHHATTISGARH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL, NAYA RAIPUR



COMMISSIONER, DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION OF CHHATTISGARH



SET EXAMINATION 2019

(Accredited by University Grants Commission, New Delhi)
(Valid in the State of Chhattisgarh only)



Certified that **SHEETAL KERKETTA** Son/Daughter/Wife
of **DULARA MASIH KERKETTA** has qualified the Chhattisgarh State Eligibility Test (SET)
Examination 2019 held on September 08, 2019 for eligibility for the post of Assistant
Professor/Librarian/Sports Officer in colleges and Assistant Professor/Assistant Librarian/Assistant
Director (Physical Education) in the Universities in the subject **COMMERCE**

The date of qualifying SET is June 24, 2020 which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the
Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal by the employer through vyapam.cgstate.gov.in. This
electronic certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Date of issue : **10/11/2020**

Additional Director

Department of Higher Education Government of Chhattisgarh

Member Secretary (C.G.SET)

Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, Naya Raipur

NOTE

- CG Vyapam has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his / her Application Form. The appointing authority should verify the original records / certificates of the candidate while considering him / her for appointment, as the CG Vyapam is not responsible for the same. The candidate must fulfill the minimum eligibility condition for SET within 2 years from the date of declaration of SET result.
- Wherever SC/ST/OBC (creamy layer / non-creamy layer) is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of this category.
- Wherever PWD is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities.

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.S.)



NATIONAL TESTING AGENCY

Excellence in Assessment

E-certificate No.: JUN19U05822



University Grants Commission



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

NTA Ref. No.: 190510480216

Roll No.: CG02503296



Certified that SHIVANI SHARMA

Son/Daughter of SUNITA SHARMA

and KAMAL SHARMA

has qualified

the UGC-NET for eligibility for Assistant Professor held on 25th June, 2019 in the subject POLITICAL SCIENCE

As per information provided by the candidate, he/she had completed/appeared or was pursuing his/her Master's degree or equivalent examination at the time of applying for UGC-NET.

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of UGC-NET result, i.e., 12th July, 2019, or the date of completion of Master's degree or equivalent examination with required percentage of marks within two years from the date of declaration of UGC-NET result, i.e. by 11th July, 2021, whichever is later.

This is an electronic certificate only, its authenticity and category in which the candidate had appeared should be verified from National Testing Agency (NTA) by the institution/appointing authority. This electronic certificate can also be verified by scanning the QR Code.

The validity of this electronic certificate is forever.

Vishankumar
Senior Director, NTA

Date of issue: 29.11.2019

Note: NTA has issued the electronic certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her online Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as the NTA will not be liable for any false information provided by the candidate. The NTA is only responsible for the result which can be verified from the repository available in the website of NTA (ugcnet.nta.nic.in). The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for NET as laid down in the notification for UGC-NET.

Dr. Vishnu Charan Gupta
PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

Scanned by CamScanner

CHHATTISGARH PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD
RAIPUR



STATE ELIGIBILITY TEST FOR LECTURERSHIP
(Accredited by University Grants Commission, New Delhi)

(Valid in the state of CHHATTISGARH only)

SET Ref No. **06/342** Roll No. **5102055**

Certified that **SHRIBACHHA BHOY**


Son/ Daughter of **MATHURA BHOY** (Mother)

and **KIRTIWAS BHOY** (Father)

has qualified the **CHHATTISGARH** SET for eligibility for lecturership held on
19-11-2006 in the subject **HINDI**

His/Her Post-graduation Subject is **HINDI**

Validity of the certificate is forever.



Member Secretary
Set Agency




Chairman
Set Agency

Date of Issue : MARCH, 2007

Note: Chhattisgarh Professional Examination Board Raipur has issued the certificate based on the information provided by candidate and his / her records / certificate have not been verified. The appointing authority should verify original records / certificate of the candidate while considering him/her for appointment, as the SET Agency is not responsible for the same. The candidate must complete UGC specified Master's Degree within year of date of SET.


PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
Raigarh (C.G.)

Ref. No.: 2013/SC/--/0070

Roll No.: 110356017



CHHATTISGARH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL, RAIPUR



COMMISSIONER, DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION OF CHHATTISGARH



SET EXAMINATION 2013

(Accredited by University Grants Commission, New Delhi)
(Valid in the State of Chhattisgarh only)




Certified that HARIHAR PRASAD CHOUHAN Son/Daughter/Wife
of TARACHAND CHOUHAN has qualified the Chhattisgarh State Eligibility Test (SET)
Examination 2013 held on December 15, 2013 for eligibility for the post of Assistant
Professor/Librarian/Sports Officer in colleges and Assistant Professor/Assistant Librarian/Assistant
Director (Physical Education) in the Universities in the subject HISTORY

The date of qualifying SET is May 14, 2014, which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the
Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal by the employer through cgvyapam.choice.gov.in. This
electronic certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Date of issue : 19/09/2014


(Dr. R. B. Subramanian)
Additional Director

Department of Higher Education Government of Chhattisgarh


(Dr. Pradeep Chaube)
Controller

Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, Raipur

NOTE

- Verified*
- CG Vyapam has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his / her Application Form. The appointing authority should verify the original records / certificates of the candidate while considering him / her for appointment, as the CG Vyapam is not responsible for the same. The candidate must fulfill the minimum eligibility condition for SET within 2 years from the date of declaration of SET result.
 - Wherever SC/ST/OBC (creamy layer / non-creamy layer) is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of this category.
 - Wherever PH is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)

Electronic Certificate No.: 171009763



University Grants Commission
NATIONAL EDUCATIONAL TESTING BUREAU



ज्ञान-विज्ञानं विमुक्तये

NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

UGC Ref. No.: 9763/(SC)(NET-NOV 2017)

Roll No.: 13001912

Certified that HARIHAR PRASAD CHOUHAN

Son/Daughter of TARACHAND CHOUHAN

and



RASHILA BAI

had applied for the UGC-NET for eligibility for

Assistant Professor held on 05-11-2017 in the SC

category and qualified by securing marks at par with the qualifying cut-off
for SC category

in the Subject HISTORY

As per the information provided by the candidate, he/she had completed his/her Master's degree or equivalent examination at the time of applying for NET.

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of NET result, i.e.,
2nd January, 2018, OR the date of completion of Master's degree or equivalent
examination with required percentage of Marks within two years from the date of
declaration of NET result, i.e., by 1st January, 2020, whichever is later.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the UGC
by the employer. This electronic certificate can also be verified by scanning QR Bar Code
printed on the electronic certificate.

Validity of this electronic certificate is forever.

Date of Issue: 19-03-2018

Surender Singh

Head
NET Bureau

Note: a) UGC has issued the electronic certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as the Commission is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for NET as laid down in the notification for UGC-NET.

b) Wherever SC/ST/OBC/PWD is shown in the UGC Ref. No., the institution/recruitment body should check the relevant documents of that category.

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN SINGH
Govt. College Pussora
District- Raigarh (C.G.)

M.P. STATE ELIGIBILITY TEST (SLET)



Accredited by

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, NEW DELHI.

Agency : PROFESSIONAL EXAMINATION BOARD M.P.

CERTIFICATE

PEB Ref. No. G / 07 / 015 / 1999 Roll No. 759318

Certified that SAO RAMESH KUMAR
Son/Daughter of (Mother) Smt. PUNI BAI SAO
(Father) Shri DAYANIDHI SAO

has qualified at the MP-SLET Examination for Lectureship held in NOV.-1999 in the
Subject COMMERCE

He / She is declared eligible for Lectureship in Universities / Colleges subject to the following conditions.

- Having secured at least 55% of the marks in the Post - Graduate Degree (50% marks for SC/ST candidates) (See instructions overleaf).
- Production of category certificate as specified in Ref. No. above (See instructions overleaf).

The validity of the certificate is forever.

Sd/-
Member Secretary
M.P. SLET

Certificate No. 023399

Sd/-
Chairman
Steering Committee
M.P. SLET

Sd/-
PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pusaore
District- Raigarh (C.G.)

Ref. No.: 2013/SC/--/0478

Roll No.: 131061063



CHHATTISGARH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL, RAIPUR
&
COMMISSIONER, DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION OF CHHATTISGARH



SET EXAMINATION 2013

(Accredited by University Grants Commission, New Delhi)
(Valid in the State of Chhattisgarh only)



Certified that VIJAY KUMAR KANTE Son/Daughter/Wife
of SOUDAGAR KANTE has qualified the Chhattisgarh State Eligibility Test (SET)
Examination 2013 held on December 15, 2013 for eligibility for the post of Assistant
Professor/Librarian/Sports Officer in colleges and Assistant Professor/Assistant Librarian/Assistant
Director (Physical Education) in the Universities in the subject LIFE SCIENCES

The date of qualifying SET is May 14, 2014, which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the
Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal by the employer through cgvyapam.choice.gov.in. This
electronic certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Date of issue : 19/09/2014

(Dr. R. B. Subramanian)

Additional Director

Department of Higher Education Government of Chhattisgarh

(Dr. Pradeep Chaube)

Controller

Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, Raipur

NOTE

- Verified*
Dr. R. B. Subramanian
- CG Vyapam has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his / her Application Form. The appointing authority should verify the original records / certificates of the candidate while considering him / her for appointment, as the CG Vyapam is not responsible for the same. The candidate must fulfill the minimum eligibility condition for SET within 2 years from the date of declaration of SET result.
 - Wherever SC/ST/OBC (creamy layer / non-creamy layer) is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of this category.
 - Wherever PH is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities.

Dr. R. B. Subramanian
PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussora
District- Raigarh (C.G.)

Electronic Certificate No.: 122006602



University Grants Commission
NATIONAL EDUCATIONAL TESTING BUREAU



ज्ञान-विज्ञानं विनूक्तये

NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR LECTURESHIP

UGC Ref. No.: 6602/(NET-DEC. 2012)

Roll No.: 47050241

Certified that **JAYNARAYAN NAIK**



JAYNARAYAN NAIK

Son-Daughter of **HARICHARAN NAIK**

and **USHAMATI NAIK**

has qualified

the UGC-NET for eligibility for lectureship held on **30-12-2012**

in the Subject **SOCIOLOGY**

The date of qualifying NET is **25th March, 2013**, which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the UGC by the employer through www.ugcnetonline.in. This electronic certificate can also be verified by scanning QR Bar Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Surender Singh

Head
NET Bureau

Date of Issue: **25-11-2013**

Note a) UGC has issued the electronic certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as the Commission is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for NET within two years from the date of declaration of UGC-NET result.

b) Wherever PWD is shown in the UGC Ref. No. of the appointing authority should check the relevant documents of disabilities.

Verified
Duty of
PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District: Raichur (C.G.)

Ref. No.: 2013/OBC(NCL)/--/0307

Roll No.: 130555061



CHHATTISGARH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL, RAIPUR
&
COMMISSIONER, DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION OF CHHATTISGARH



SET EXAMINATION 2013

(Accredited by University Grants Commission, New Delhi)
(Valid in the State of Chhattisgarh only)



Pradeep Chaube
Controller

Certified that JAYNARAYAN NAIK Son/Daughter/Wife
of HARICHARAN NAIK has qualified the Chhattisgarh State Eligibility Test (SET)
Examination 2013 held on December 15, 2013 for eligibility for the post of Assistant
Professor/Librarian/Sports Officer in colleges and Assistant Professor/Assistant Librarian/Assistant
Director (Physical Education) in the Universities in the subject SOCIOLOGY

The date of qualifying SET is May 14, 2014, which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the
Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal by the employer through cgvyapam.choice.gov.in. This
electronic certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Date of issue : 19/09/2014

Dr. R. B. Subramanian
(Dr. R. B. Subramanian)

Additional Director

Department of Higher Education Government of Chhattisgarh

Pradeep Chaube
(Dr. Pradeep Chaube)

Controller

Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, Raipur

NOTE

- CG Vyapam has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his / her Application Form. The appointing authority should verify the original records / certificates of the candidate while considering him / her for appointment, as the CG Vyapam is not responsible for the same. The candidate must fulfill the minimum eligibility condition for SET within 2 years from the date of declaration of SET result.
- Wherever SC/ST/OBC (creamy layer / non-creamy layer) is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of this category.
- Wherever PH is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities.

Vishnu Charan Gupta
PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pursore
District- Raigarh (C.G.)

Ref. No.: SET-2017/6103911831/0832

Roll No.: 132761030



CHHATTISGARH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL, NAYA RAIPUR



COMMISSIONER, DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION OF CHHATTISGARH



SET EXAMINATION 2017

(Accredited by University Grants Commission, New Delhi)
(Valid in the State of Chhattisgarh only)



Certified that **BALMUKUND PATEL** Son/Daughter/Wife
of **CHANDRAMANI PATEL** has qualified the Chhattisgarh State Eligibility Test (SET)
Examination 2017 held on September 17, 2017 for eligibility for the post of Assistant
Professor/Librarian/Sports Officer in colleges and Assistant Professor/Assistant Librarian/Assistant
Director (Physical Education) in the Universities in the subject **LIFE SCIENCE**

The date of qualifying SET is March 27, 2018 which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the
Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal by the employer through cgvyapam.choice.gov.in. This
electronic certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Date of issue : **02/02/2019**

Additional Director

Department of Higher Education Government of Chhattisgarh

Member Secretary (C.G.SET)

Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, Naya Raipur

NOTE

- CG Vyapam has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his / her Application Form. The appointing authority should verify the original records / certificates of the candidate while considering him / her for appointment, as the CG Vyapam is not responsible for the same. The candidate must fulfill the minimum eligibility condition for SET within 2 years from the date of declaration of SET result.
- Wherever SC/ST/OBC (creamy layer / non-creamy layer) is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of this category.
- Wherever PH is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities.

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussate
District- Raigarh (C.G.)

Electronic Certificate No.: 142012968



University Grants Commission
NATIONAL EDUCATIONAL TESTING BUREAU



NATIONAL ELIGIBILITY TEST FOR ASSISTANT PROFESSOR

UGC Ref. No.: 12968/(NET-DEC. 2014)

Roll No.: 80080392



Certified that **EVANTI PATEL**

Son/Daughter of **G S PATEL**

and **G PATEL**

has qualified

the UGC-NET for eligibility for Assistant Professor held on **28-12-2014**

in the Subject **COMMERCE**

As per the information provided by the candidate, he/she had completed his/her Master's degree or equivalent examination at the time of applying for NET.

The date of eligibility for Assistant Professor is the date of declaration of NET result, i.e., **15th June, 2015**, OR the date of completion of Master's degree or equivalent examination with required percentage of Marks within two years from the date of declaration of NET result, i.e., by **14th June, 2017**, whichever is later.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the UGC by the employer. This electronic certificate can also be verified by scanning QR Bar Code printed on the electronic certificate.

Validity of this electronic certificate is forever.

Date of Issue: **30-04-2019**

Surender Singh

Head
NET Bureau

Note: a) UGC has issued the electronic certificate on the basis of information provided by the candidate in his/her Application Form. The appointing authority should verify the original records/certificates of the candidate while considering him/her for appointment, as UGC is not responsible for the same. The candidate must fulfil the minimum eligibility conditions for NET as laid down in the notification for UGC-NET.

b) Wherever PWD is shown in the application, the recruitment body should check the relevant documents of disabilities.

Vishnu Charan Gupta
PRINCIPAL
VISHNU CHARAN GUPTA
Govt. College Pusehra
District Raigarh (C.G.)

Ref. No.: SET-2019/6107390433/OBC (NON CREAMY LAYER)/0981

Roll No.: 134061049



CHHATTISGARH VYAVSAYIK PARIKSHA MANDAL, NAYA RAIPUR



COMMISSIONER, DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION OF CHHATTISGARH



SET EXAMINATION 2019

(Accredited by University Grants Commission, New Delhi)
(Valid in the State of Chhattisgarh only)



कोशल नाइक
Naik

Certified that **KOUSHAL NAIK** Son/Daughter/Wife
of **SET KUMAR NAIK** has qualified the Chhattisgarh State Eligibility Test (SET)
Examination 2019 held on September 08, 2019 for eligibility for the post of Assistant
Professor/Librarian/Sports Officer in colleges and Assistant Professor/Assistant Librarian/Assistant
Director (Physical Education) in the Universities in the subject **LIFE SCIENCE**

The date of qualifying SET is June 24, 2020 which is also the date of declaration of the result.

This is an electronic certificate only and its authenticity should be verified from the
Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal by the employer through vyapam.cgstate.gov.in. This
electronic certificate can also be verified by scanning QR Code printed on the electronic certificate.

Validity of the electronic certificate is forever.

Date of issue : **10/11/2020**

Additional Director

Department of Higher Education Government of Chhattisgarh

Self attested

Member Secretary (C.G.SET)

Chhattisgarh Vyavsayik Pariksha Mandal, Naya Raipur

NOTE

- CG Vyapam has issued the electronic certificate on the basis of the information provided by the candidate in his / her Application Form. The appointing authority should verify the original records / certificates of the candidate while considering him / her for appointment, as the CG Vyapam is not responsible for the same. The candidate must fulfill the minimum eligibility condition for SET within 2 years from the date of declaration of SET result.
- Wherever SC/ST/OBC (creamy layer / non-creamy layer) is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of this category.
- Wherever PWD is shown in the SET Ref. No., the recruitment body should check the relevant documents of disabilities.

PRINCIPAL
VISHNUCHARAN GUPTA
Govt. College Pussore
District- Raigarh (C.G.)




NOTIFICATION

It is notified that, as per decision taken in the Executive Council held on 27.01.04, the Kulpati, on behalf of the Executive Council after considering the reports of the examiners concerned, has accepted the thesis submitted by the following candidate and declared her eligible for the award of the Degree of "DOCTOR OF PHILOSOPHY" of Guru Ghasidas University Bilaspur on the date of the Viva-voce Examination held on 28th the day of December 2006

- 1. Name of the Candidate : श्रीमती सावित्री अग्रवाल
- 2. Name of the Supervisor : Dr.Ambika Prasad Verma
- 3. Subject of the Thesis : POLITICAL SCIENCE
- 4. Faculty : SOCIAL SCIENCE
- 5. Title of the Thesis : "भारतीय लोकतंत्र की समस्याएं, उपलब्धियां एवं सम्भावनाओं का एक राजनीतिक विश्लेषण "
- 6. Date of Registration : 13-03-2003

BY ORDER.



(DR. INDU ANANT)
REGISTRAR


Bilaspur, Date 04-01-2007

Copy forwarded for information & necessary action to :-

- 1. Head - Deptt. of Political Science Govt. TCL College Janjgir (C.G.).
- 2. Dean Social Science Faculty GGDU Bilaspur (C.G.).
- 3. Supervisor- Dr. Ambika Prasad Verma, HOD Political Science Govt. TCL College Janjgir (C.G.)
- 4. Candidate : Smt. Savitri Agrawal, C/o Shri N.K. Agrawal, Life Insurance Corporation Satti Gudi Chouk Raigarh (C.G.)
- 5. P.A. To Registrar/Kulpati, for Registrar/Kulpati's information.
- 6. Registrar Exam./Dev./Academic Section.
- 7. Amrit Bazar Patrika Kolkata/Bhaskar Bhopal to please publish the notification as NEWS ITEM for general information.
- 8. Editor: Nav-Bharat /Deshbandhu / Bilaspur Times /Lok Swar/ Dainik Bhaskar / Aditya Diary / Nav Bhaskar /Mahakaushal/ Samvet Shikhar/The Hitavada-Raipur to please publish the notification as NEWS ITEM for general information.
- 9. Editor : University News Association of Indian Universities, 16, Kotla Road, New Delhi, 110002.
- 10. Dr.U.K.Shrivastava, Officer on Special Duty, Directorate of Higher Education, Raipur, (C.G.)
- 11. Editor : Journal of Scientific and Industrial Research, Rafi Marg, New Delhi.
- 12. Librarian , University News, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Road, New Delhi, 110002.
- 13. Librarian, Guru Ghasidas University, Bilaspur (C.G.).
- 14. Registrar of all the statutory Universities in India.
- 15. Director, Chhattisgarh Council of Science and Technology, Pt.Ravi Shanker University, Campus Raipur (C.G.)
- 16. H.O.D. Computer Science UTD Guru Ghasidas University Bilaspur. (C.G.)

c:\bak\not.\sidar


ASST REGISTRAR (CONF)


ASST REGISTRAR
Govt. College Raigarh
Raigarh (C.G.)